RNI NO. DELHIN/2004/14240

विशेष छूट का लाभ उठाएं

मासिक पत्रिका

# मुखबिर



| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 वर्ष | 12 अंक | ₹ 60 | ₹ 50 |
| 2 वर्ष | 24 अंक | ₹ 120 | ₹ 100 |
| 3 वर्ष | 36 अंक | ₹ 180 | ₹ 150 |

अपनी प्रति जल्द रजिस्टर करें

## मुखबिर सदस्यता फॉर्म

नाम : ............................................................ जन्मतिथि : ..............................

पता : ............................................................................................................

पिन : .............................. संपर्क : .............................. ईमेल : ..............................

जन्म तिथि : ..../..../....... लिंग : .............. चैक/डिमांड ड्राफ्ट नंबर : ..............................

सब्सक्रिप्शन अवधि - 1 वर्ष ☐ 2 वर्ष ☐ 3 वर्ष ☐

हस्ताक्षर ..............................

नियम एवं शर्तें : [illegible] PAYABLE AT PAR THROUGH CLEARING/TRANSFER AT ALL BRANCHES OF SAME BANK [illegible]



# सुनहरा अवसर

आपके समाचार पत्र, पत्रिका, पोर्टल, समाजसेवी संगठन, राजनितिक दल, थियेटर ग्रुप व अन्य संस्थान के लिए ताजातरीन देश - विदेश, कारोबार, खेल की ख़बरें व समसामयिक विषयों पर आलेख रोजाना उपलब्ध हैं।

सूचना प्रसारण मंत्रालय (डीएवीपी) द्वारा मान्यता प्राप्त समाचार एजेंसी

## वेब वार्ता ®

पल-पल की खबर हर पल

1,वार्ता भवन, 3 लिंक हाउस, प्रेस स्ट्रीट, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, आईटीओ, दिल्ली 110002

8587018587, 9953005807

webvarta@gmail.com, news@webvarta.com

www.webvarta.com

जनहित में जारी

इक एहसास
Unity Is Strength
समाज सेवी संस्था

समाचार एजेंसी
वेब वार्ता
पल-पल की खबर हर पल

# जल संरक्षण

## जरूरत भी और कर्तव्य भी





रोशन चिराग
सिर्फ
20/- रु० में

घर, परिवार समाज को पिरोने, गढ़ने, बुनने और संवारने की पारिवारिक मासिक पत्रिका आपके लिए, आपकी बहन, बेटी और माँ की दुआओं का दामन....

**'नेक दामन'**

मासिक पत्रिका
# मुख़बिर

नई दिल्ली, वर्ष : 22, अंक : 09, सितंबर 2025

RNI DELHIN/2004/14240

प्रकाशक व प्रबंध संपादक
शौकत उल्लाह खान

प्रबंधक प्रचार एवं प्रसार
फरखंदा खान

उप - संपादक
रुहीना अख्तर

विज्ञापन प्रबंधक
फिजा अल्ताफ

Publisher & Managing Editor
Shaukat Ullah Khan

Manager Publicity & Cerculation
Farkhanda khanam

Sub Editor
Ruheena Akhtar

Manager Advertisment
Fiza Altaf

स्वामी व मुद्रक सईद अहमद द्वारा तेज़ प्रेस - 8बी, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110002 से छपवाकर ए- 352 न्यू अशोक नगर, दिल्ली 110096 से प्रकाशित। प्रकाशक - शौकत उल्लाह खान

इस अंक में प्रकाशित रचनाओं के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं। पत्रिका में छपे किसी भी लेख के लिए लेखक स्वयं जिम्मेदार है। पत्रिका में प्रकाशित सामग्री या विज्ञापन से संपादक / प्रकाशक का सहमत होना अनिवार्य नहीं।
विवाद की स्थित में न्याय क्षेत्र केवल दिल्ली ही होगा।



## ओ देशवासियों, बैठ न जाओ पत्थर से

ओ देशवासियों, बैठ न जाओ पत्थर से,
ओ देशवासियों, रोओ मत यों निर्झर से,
दरख्वास्त करें, आओ, कुछ अपने ईश्वर से
वह सुनता है गमजादों औररंजीदों की।
जब सार सरकता-सा लगता जग-जीवन से,
अभिषिक्त करें, आओ, अपने को इस प्रण से-
हम कभी न मिटने देंगे भारत के मन से
दुनिया ऊँचे आदर्शों की, उम्मीदों की।
माधना एक युग-युग अंतर में ठनी रहे
यह भूमि बुद्ध-बापू-से सुत की जनी रहेय
प्रार्थना एक युग-युग पृथ्वी पर बनी रहे
यह जाति योगियों, संतों और शहीदों की।

-हरिवंशराय बच्चन

# गृहवाटिका से खाद्य सुरक्षा

**कैमिकल्स के इस्तेमाल से उगाई जा रही सब्जियों व उन की आसमान छूती कीमतों ने घरघर की रसोई का स्वाद बिगाड़ दिया है। ऐसे में समझदारी यही है कि गृहवाटिका यानी किचन गार्डन में सब्जियां उगाई जाएं। लेकिन कैसे, बता रही हैं नीलिमा पंत।**

सब्जियां हमारे भोजन को स्वादिष्ट, पौष्टिक और संतुलित बनाने में सहायक हैं। इन के माध्यम से शरीर को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण, आवश्यक अमीनोएसिड व विटामिन मिलते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को अपने भोजन में लगभग 100 ग्राम पत्तेदार सब्जियां, 100 ग्राम जड़ वाली सब्जियां और 100 ग्राम दूसरी सब्जियां खानी चाहिए।

बाजार में उपलब्ध सब्जियां व फल आमतौर पर ताजे नहीं होते तथा महंगे भी होते हैं। साथ ही उन में मौजूद रोगाणुओं व हानिकारक रसायनों की मात्रा के कारण वे स्वास्थ्यकर भी नहीं होते। इसलिए बेहतर है कि खाने के लिए सब्जियों को अपने घर या घर के आसपास गृहवाटिका यानी किचन गार्डन में उगाएं जिस से खाद्य सुरक्षा के साथसाथ वाटिका में कार्य करने से घर के सदस्यों का व्यायाम भी हो जाए।

गृहवाटिका से कुछ हद तक सभी लोग जुड़ सकते हैं चाहे वे गांव में रहते हों या शहर में। बड़े शहरों में जहां पौधे उगाने के लिए जमीन की उपलब्धता नहीं है वहां भी कुछ चुनिंदा सब्जियों को गमलों व डब्बों में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। गांव में जहां जगह की कमी नहीं है, वहां सब्जियों के अलावा फल वाले पौधे जैसे पपीता, केला, नीबू, अंगूर, अमरूद, स्ट्राबैरी, रसभरी आदि भी आसानी से उगाए जा सकते हैं।

मौसमी फल व सब्जियां...

ग्रीष्मकालीन सब्जियां: (बुआई का समय जनवरी से फरवरी) टमाटर, मिर्च, भिंडी, करेला, लौकी, खीरा, टिंडा, अरबी, तोरई, खरबूजा, तरबूज, लोबिया, ग्वार, चैलाई, बैगन, राजमा आदि।

वर्षाकालीन सब्जियां: (बुआई का समय--जून से जुलाई) टमाटर, बैगन, मिर्च, भिंडी, खीरा, लौकी, तोरई, करेला, कद्दू, लोबिया, बरसाती प्याज, अगेती फूलगोभी आदि।

शरदकालीन सब्जियां: (बुआई का समय--सितंबर से नवंबर) फूलगोभी, गाजर, मूली आलू, मटर, पालक, मेथी, धनिया, सौंफ, शलगम, पत्तागोभी, गांठगोभी, ब्रोकली, सलाद पत्ता, प्याज, लहसुन, बाकला, बथुआ, सरसोंसाग आदि।

उपरोक्त सब्जियों के अलावा गृहवाटिका में कुछ बहुवर्षीय पौधे या फलवृक्ष भी लगाने चाहिए, जैसे अमरूद, नीबू, अनार, केला, करौंदा, पपीता, अंगूर, करीपत्ता, सतावर आदि।

आवश्यक सामग्री...

यंत्र: फावड़ा, खुरपी, फौआरा, दरांती, टोकरी, बालटी, सुतली, बांस या लकड़ी का डंडा, एक छोटा स्प्रेयर।

बीज: गृहवाटिका में कम जमीन के अंदर अधिक से अधिक उत्पादन देने वाले गुणवत्तायुक्त बीज या पौध को विश्वसनीय संस्था से खरीद कर प्रयोग करें।

पौधा: अधिकतर सब्जियों की पौध तैयार कर के बाद में रोपाई करते हैं। नर्सरी के अंदर स्वस्थ पौध तैयार कर के फिर उन की रोपाई कर या संस्था से पौध खरीद कर उन्हें गृहवाटिका में लगा कर सब्जियां उगाई जा सकती हैं।

जैविक व रासायनिक खाद: गोबर या कंपोस्ट खाद का प्रयोग ही गृहवाटिका के अंदर करना चाहिए। इन के उपयोग से पौष्टिक व सुरक्षित सब्जियां उगाई जा सकती हैं। परंतु कभीकभी अभाव की दशा व अधिक उत्पादन हेतु यूरिया, किसान खाद, सुपर फास्फेट, म्यूरेट औफ पोटाश की थोड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है।

कीटनाशी व रोगरोधी दवाएं: गृहवाटिका के अंदर कीड़ों व बीमारियों का प्रकोप होता है तो ग्रसित पौधों के उस भाग को काट कर मिट्टी में दबा दें। प्रकोप होने पर जैविक कीटनाशी दवाओं का ही प्रयोग करें।

गृहवाटिका में छोटीछोटी क्यारियां बना कर और उन में सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद मिला कर क्यारियां समतल कर के उन में बीज की बुआई व पौध की रोपाई कर हलकी सिंचाई कर दें। आवश्यकतानुसार समयसमय पर सिंचाई व निराईगुड़ाई करते रहना चाहिए। बीचबीच में पौधों को सहारा देना चाहिए। सब्जियां तैयार होने के बाद उन की उचित अवस्था में तुड़ाई कर के उन्हें उपयोग करें। उचित प्रबंधन व देखभाल के साथ गृहवाटिका के अंदर ताजी, पौष्टिक व स्वादिष्ट सब्जियां पैदा की जा सकती हैं जो परिवार के भोजन को अधिक पौष्टिक व संतुलित बना सकती हैं। इस प्रकार, गृहवाटिका हमारी खाद्य सुरक्षा का एक विकल्प भी है।

**प्रकाशक की कलम से**

# सच्चे दीपक का बुझ जाना



शौकत उल्लाह खान
प्रकाशक

भारतीय राजनीति के आकाश में कुछ ऐसे सितारे रहे हैं, जिन्होंने अपनी चमक से न केवल सत्ता के गलियारों को रोशन किया, बल्कि आमजन के दिलों में भी विश्वास जगाया। उन्हीं में से एक नाम है – सतपाल मलिक। उनके निधन को "सच्चे दीपक का बुझ जाना" कहना अनुचित नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने राजनीति को केवल सत्ता का माध्यम नहीं, बल्कि जनसेवा का रास्ता माना।

सतपाल मलिक का जन्म 24 जुलाई 1946 को उत्तर प्रदेश के बघपत में हुआ। छात्र राजनीति से शुरुआत कर वे धीरे-धीरे राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे। किसान परिवार से आने के कारण उनकी सोच हमेशा किसान, मजदूर और सामान्य नागरिकों के इर्द-गिर्द रही। वे हर पद पर रहे, पर उनकी पहचान रही एक सच्चे और साफ़ दिल नेता की।

राजनीतिक और संवैधानिक सफ़र में वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद से शुरुआत करके वे कांग्रेस, लोकदल और अंततः भाजपा तक की राजनीति में सक्रिय रहे।

वे राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य बनने के बाद उनका कद राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ा।

फिर 2017 में उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया और उसके बाद वे जम्मू-कश्मीर, गोवा और मेघालय के राज्यपाल भी रहे।

जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए धारा 370 हटाने जैसा ऐतिहासिक और विवादास्पद निर्णय उन्हीं के कार्यकाल में हुआ।

सतपाल मलिक केवल संवैधानिक मर्यादा निभाने वाले राज्यपाल नहीं थे, बल्कि वे बेबाक और सच्चाई से समझौता न करने वाले व्यक्तित्व थे। उन्होंने किसानों की समस्याओं, भ्रष्टाचार और बेरोज़गारी जैसे मुद्दों पर खुलकर राय दी। उनकी यह साफगोई कई बार सत्ता के लिए असहज रही, लेकिन जनता की नज़रों में इससे उनकी साख और मज़बूत हुई।

राजनीतिक जीवन में ऊँचाइयाँ पाने के बावजूद सतपाल मलिक हमेशा ज़मीन से जुड़े रहे। वे कहते थे कि राजनीति जनता की सेवा का ज़रिया है, न कि व्यक्तिगत लाभ का साधन। किसानों और नौजवानों के मुद्दों पर उनकी निष्ठा ने उन्हें जनता का सच्चा दीपक बना दिया।

आज जब सतपाल मलिक हमारे बीच नहीं हैं, तो यह अहसास गहरा है कि जैसे एक सच्चा दीपक बुझ गया हो। लेकिन दीपक भले ही बुझ जाए, उसकी लौ का प्रकाश लंबे समय तक लोगों की यादों और विचारों को रोशन करता रहता है। सतपाल मलिक का जीवन और उनकी ईमानदार छवि आने वाली पीढ़ियों के लिए राजनीति में आदर्श और प्रेरणा बनी रहेगी।

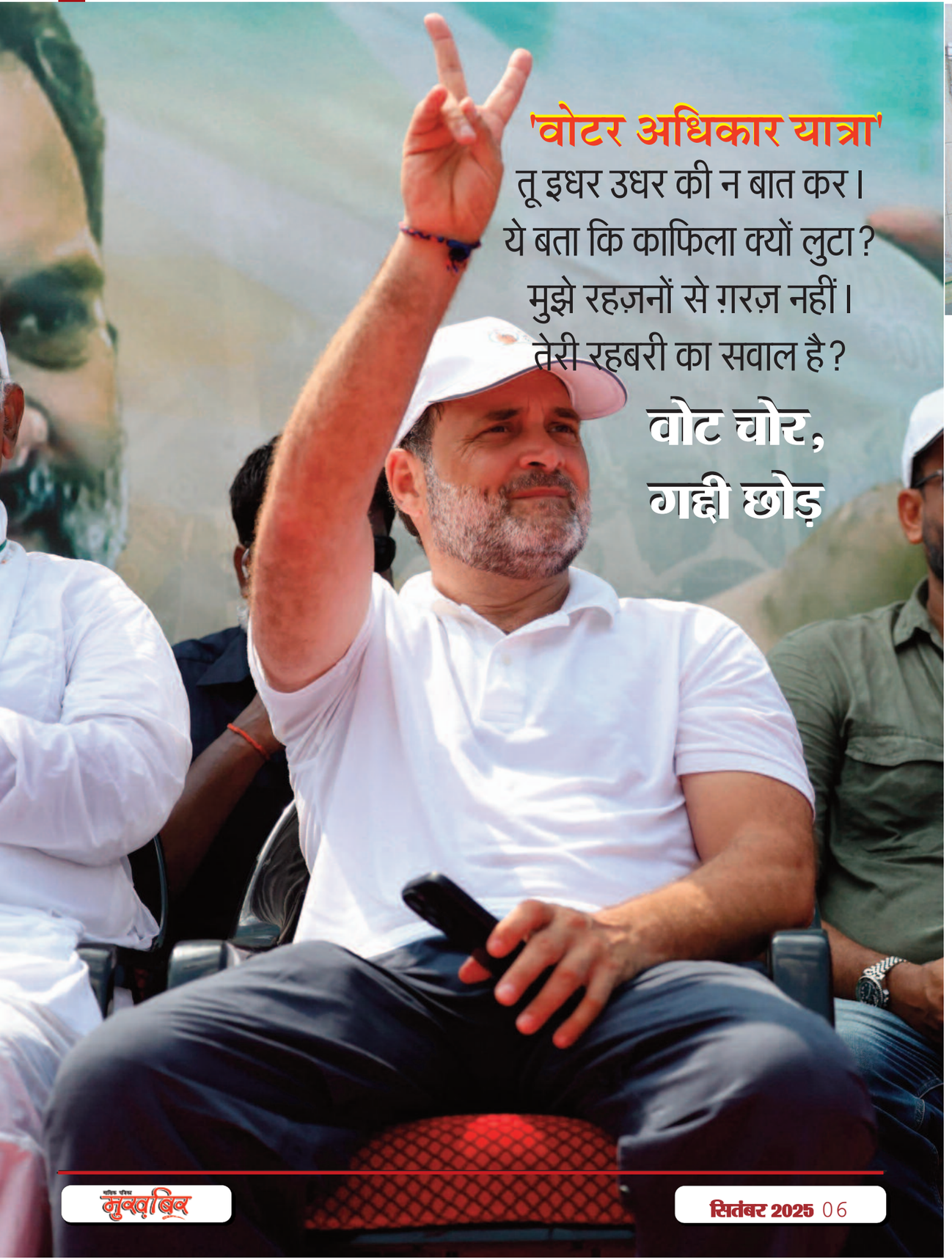

कमजोरी व उसमें हल्का तनाव महसूस होने लगता है। इतना ही नहीं, भावनात्मक या व्यवहार से संबंधित समस्याएं (इमोशनल या बिहेविओरल प्रॉब्लम्स), बोलने में कठिनाई महससू होना इसके अन्य लक्षण होते हैं।

**ऐसे होती है पहचान**

इस बीमारी की पहचान रोग के लक्षण, रोगी के बारे में विस्तृत पड़ताल (डिटेल्ड हिस्ट्री) और पूरी तरीके से नैदानिक पड़ताल यानी क्लिनिकल इवैल्यूएशन द्वारा किया जाता है। कुछ मामलों में रोगी की एमआरआई भी की जाती है। साथ ही ब्लड टेस्ट भी कराया जाता है। सामान्य तौर पर जब मरीज को बुखार होता है और साथ में जोड़ों में दर्द भी होता है, तो ऐसी स्थिति में रोगी के दिल की जांच जैसे इको भी किया जाता है।

**सावधानी**

इस बीमारी में किसी खास तरह की सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब रोगी के बॉडी का शरीर अनियंत्रित होकर हिलने लगे उसे समय उसे चलने में सावधानी बरतनी चाहिए नहीं तो उसे चोट लग सकती है। इसके साथ ही डॉक्टर ने जो दवा दी है उसे नियमित तौर पर खाना चाहिए। यह हम जानते हैं कि स्ट्रेप्टो कोक्कस इंफेक्शन और रूमेटिक फीवर ही साइडेल्हेम कोरिया का कारण बनता है। इसलिए इस इंफेक्शन के होने पर रोगी का तुरंत इलाज कराना चाहिए। इस बीमारी के होने पर जोड़ों और दिमाग में होने वाले इंफेक्शन और समस्याएं अस्थायी होती हैं और समय के साथ ठीक हो जाती हैं, लेकिन हार्ट के वॉल्व के डैमेज होने पर भविष्य में रोगी की तकलीफें बढ़ जाती हैं, इसलिए इस बीमारी के लक्षण दिखाई देते ही प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना जरूरी है, ताकि हार्ट को प्रभावित होने से बचाया जा सके।

## उपचार

**इस बीमारी का अब तक कोई इलाज नहीं निकल पाया है। बीमारी अगर बहुत ज्यादा गंभीर न हो तो इसके उपचार की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि चार से छह हफ्ते में यह अपने आप ठीक हो जाती है। इसी वजह से यह बीमारी हमारे जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करती है। लेकिन कई मामलों में रोगी के अनकंट्रोल्ड मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए सिलेनियल हेलोपैरॉडॉल आदि दवाइयां दी जाती हैं। इन दवाइयों से रोगी के शरीर की अकड़ाहट को कुछ समय के लिए बढ़ा दिया जाता है ताकि हाथ-पैरों का हिलना बंद हो सके। हालांकि, यह भी सच है कि एक बार इस बीमारी के हो जाने पर इसे पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता।**

**रिस्क फैक्टर**

यह बीमारी आमतौर पर गरीबी में जीवन गुजार रहे लोगों को ज्यादा होती है, क्योंकि उनके आस-पास साफ-सफाई की काफी कमी होती है। सफाई की इस कमी की वजह से ही उन्हें स्ट्रेप्टो कोक्कस बैक्टीरिया का इंफेक्शन होता है और फिर वे कोरिया डिजीज की चपेट में भी आ जाते हैं। इसलिए साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए।

**युवाओं को करती है ज्यादा प्रभावित**

यह बीमारी युवाओं को ज्यादा प्रभावित करती है, खासकर 18 साल से कम उम्र के युवाओं को। चूंकि रूमेटिक फीवर यंग एज के लोगों को ज्यादा परेशान करती है, इसलिए कोरिया डिजीज ज्यातातर युवाओं को ही अपना शिकार बनाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यंग एज में बॉडी में इम्यूनिटी कम होती है। जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारे अंदर इम्यूनिटी बढ़ती जाती है, इसलिए उम्र बढने पर इस इंफेक्शन का प्रभाव हमारे शरीर पर कम होता है। इसके साथ ही एक सच यह भी है कि अगर एक बार स्ट्रेप्टो कोक्कस का इंफेक्शन हो जाए तो दूसरी बार होने पर यह इसका प्रभाव हल्का होता है, क्योंकि तब इस बीमारी के प्रति हमारा शरीर इम्यूनिटी डेवलप कर चुका होता है।

**इन्हें भी जानें**

रूमेटिक फीवर होने पर लगभग सभी रोगियों के हृदय और जोड़ प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन ब्रेन बहुत कम लोगों में प्रभावित होता है। कोरिया के दूसरे प्रकार के लक्षण धीरे-धीरे दिखाई देते हैं, लेकिन साइडेल्हेम्स कोरिया के लक्षण अचानक से दिखाई देने शुरू हो जाते हैं।

(डायरेक्टर, न्यूरोलॉजी, आर्टेमिस हॉस्पिटल, गुरुग्राम)

# कैसे बचें साइडेलहेम्स कोरिया (एसडी) डिजीज से

➲ डॉ. सुमित सिंह

सीडेंहम कोरिया को कोरिया माइनर, रूमेटिक कोरिया, सेंट वाइटस डांस और सीडेंहम डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। यह एक दुर्लभ किस्म का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी तंत्रिकातंत्र संबंधी विकार है। इस विकार के होने पर रोगी के शरीर, खासकर चेहरा, हाथ और पैर में तेज, अनियंत्रित और बिना किसी कारण के हरकत होने लगती है। इस बीमारी के होने पर शुरुआत में इसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन इंफेक्शन होने के छह महीने के बाद जब रोगी जब गंभीर रूप से बीमार हो जाता है, तब जाकर इस बीमारी का पता चलता है। यह बीमारी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ज्यादा अपनी चपेट में लेती है। यह बीमारी 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ज्यादा प्रभावित करती है। वयस्क होने पर इस बीमारी के होने का खतरा बहुत कम होता है। आमतौर पर यह बीमारी शरीर के एक ही हिस्से को प्रभावित करती है, लेकिन इस बीमारी के गंभीर रूप धारण करने पर शरीर के दोनों हिस्से इससे प्रभावित हो जाते हैं।

**कारण**

यह एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तब होता है, जब हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से हेल्दी टिश्यूज को मारना शुरू कर देता है। इस बीमारी में भी यही होता है। ज्यादातर मामलों में सीडेंहम्स कोरिया स्टेप्टोकोक्कल इंफेक्शन या रूमेटिक फीवर होने पर होता है। जब इस इंफेक्शन से हमारा ब्रेन प्रभावित होता है तो ऐसी स्थिति में हमारे ब्रेन के सेल्स, खासकर बेसल गैंग्लिया (ब्रेन का वह हिस्सा, जो हमारे शरीर के मूवमेंट यानी हरकत को को स्मूदली कंट्रोल करता है) के सेल्स इस इंफेक्शन की वजह से नष्ट होने लगते हैं। इस वजह से ब्रेन के सेल्स में सूजन आ जाती है और ब्रेन का हमारे शरीर की संचालन क्षमता से नियंत्रण हट जाता है। यह बीमारी बचपन में ग्रुप ए बीटा-हीमोलीटिक स्ट्रेप्टोकोक्कस के इंफेक्शन और रूमेटिक फीवर होने के कारण होती है। एक रिपोर्ट के अनुसार एक्यूट रूमेटिक फीवर से ग्रस्त कुल रोगियों में से 20 से 30 प्रतिशत रोगी को सीडेंहम्स कोरिया डिजीज अपनी चपेट में ले लेती है।

**लक्षण**

इस बीमारी के लक्षण अलग-अलग रोगियों में अलग-अलग होते हैं। ज्यादातर मामलों में स्ट्रेप्टोकोक्कस इंफेक्शन होने के बाद रोगी इस बीमारी की चपेट में आता है। ऐसे रोगियों के गले में सूजन आ जाती है। इस बीमारी के होने पर रोगी के हाथ-पैर अनियंत्रित रूप से झटके के साथ हिलने रहते हैं। जोड़ों में सूजन आ जाती है, मांसपेशियों में



# वोट चोरी : तू इधर उधर की न बात कर

➲ निर्मल रानी

भारत में इन दिनों "वोट चोरी" का मुद्दा आम लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में होने वाले चुनावों की हालाँकि पूरे विश्व में सराहना की जाती है परन्तु यह भी सही है कि इन चुनावों की पारदर्शिता को लेकर भी दशकों से सवाल उठते रहे हैं। आज यदि ई वी एम से होने वाली कथित धांधली पर सवाल उठाया जाता है तो बैलेट पेपर और मत पेटी के दौर में बूथ कैप्चरिंग व वोट गिनती में धांधली के आरोप भी लगते रहे हैं। परन्तु पिछले दिनों इस सम्बन्ध में उठा विवाद कुछ ज़्यादा ही तूल पकड़ गया है। इस विवाद में एक तरफ़ भारतीय जनता पार्टी व चुनाव आयोग है तो दूसरी तरफ़ कांग्रेस के नेतृत्व में इण्डिया गठबंधन के सभी दल। यह विवाद दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव व कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद उस समय शुरू हुआ, जब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग पर मतदाता सूची में गड़बड़ियों और वोटर फ़्रॉड के गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित अनेक विपक्षी नेताओं ने दावा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी कर चुनावों में बेईमानी की गयी है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार जैसे राज्यों में बड़ी संख्या में फ़र्ज़ी मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं और डुप्लिकेट वोटर की प्रविष्टियां बनाई गईं हैं। कि कई जगह तो मतदाताओं के नाम सूची से भी हटा दिए गए हैं।

इस संबंध में राहुल गाँधी ने चुनाव आयोग द्वारा ही उपलब्ध कराये गये वोटर लिस्ट के विशाल भंडार के शोध के आधार पर ही विशेष रूप से कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण दिया। उन्होंने अपनी पड़ताल में पाया कि अकेले महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में ही डुप्लिकेट प्रविष्टियों और फ़र्ज़ी पतों के द्वारा 1,00,250 वोट "चुराए गए।" विपक्ष के मुताबिक़ इस तरह की गड़बड़ियों के कारण ही कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को 2024 के चुनाव में पराजय हुई। विशेष रूप से उन सीटों पर जहां हार का अंतर 50,000 वोटों से कम था। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक दावा किया कि इसी 'वोटर फ्रॉड' की वजह से ही कांग्रेस को लगभग 70 लोकसभा सीटों का नुक़सान हुआ। इसी बीच बिहार में निकट भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनावों से पूर्व चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) का काम शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया में बिहार की मतदाता सूची से लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए, जिसे विपक्ष ने "वोट चोरी" का हिस्सा बताया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए चुनाव आयोग को इन हटाए गए नामों का विवरण और कारण सार्वजनिक करने का निर्देश दिया। उसके बाद ही चुनाव आयोग ने इन्हें सार्वजनिक किया।

एक तरफ़ तो विपक्ष अर्थात इण्डिया गठबंधन, इस पूरे प्रकरण को लेकर चुनाव आयोग की बीजेपी के साथ मिलीभगत का आरोप लगा रहा है जबकि बीजेपी व चुनाव आयोग इसे विपक्ष की बौखलाहट और अनर्गल आरोप क़रार दे रहे हैं। पहले भी चुनाव आयोग विपक्ष के इस तरह के आरोपों को बार-बार ख़ारिज करता रहा है। परन्तु कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक ने इस मुद्दे को जनता तक ले जाने के लिए "वोट चोरी से आज़ादी" अभियान शुरू किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गत 17 अगस्त, 2025 को चुनावी राज्य बिहार के सासाराम से अपनी 16 दिवसीय 'मतदाता अधिकार यात्रा' शुरू की। 1,300 किलोमीटर की यह यात्रा 1 सितंबर को पटना में एक विशाल रैली के साथ समाप्त होगी, जिसमें विभिन्न भारतीय राजनैतिक दलों के नेता शामिल होंगे। दूसरी तरफ़ ठीक उसी दिन व उसी समय यानी 17 अगस्त 2025 को ही चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस आयोजित कर कहा कि मतदाता सूची की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत है। आयोग ने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों को मतदाता सूची की जांच के लिए समय दिया जाता है, लेकिन विपक्ष ने समय पर आपत्तियां दर्ज नहीं कीं।आयोग ने राहुल गांधी से उनके आरोपों के समर्थन में शपथ पत्र मांगते हुए कहा कि यदि उन्होंने एक सप्ताह में अपनी आपत्तियों से सम्बंधित हलफ़नामा नहीं दिया तो उन्हें देश से मुआफ़ी मांगनी पड़ेगी। अपनी प्रेस कॉन्फ़्रेंस में सी सी टी वी फ़ुटेज को लेकर भी चुनाव आयोग ने कई ऐसी बातें कीं जिसे पक्षपातपूर्ण व अतार्किक माना जा रहा है।

बहरहाल, विपक्ष व चुनाव आयोग के बीच भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार इस क़द्र तल्ख़ी पैदा हुई है। चुनाव आयोग की मनमानी को बेनक़ाब करने के लिये कांग्रेस ने http://votechori.in के नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जहां लोग 'वोट चोरी' के विरुद्ध अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और डिजिटल मतदाता सूची की मांग का समर्थन कर सकते हैं। साथ ही कांग्रेस ने टोल फ़्री नंबर 9650003420 भी मिस्ड कॉल के लिये जारी किया है।

इसपर जनता उन्हें अपना समर्थन व वोट सम्बन्धी अपनी शिकायत दे सकती है। विपक्ष ने इस मुहिम को "वोट चोरी से आज़ादी" अभियान का नाम दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि अब "वोट चोरी" के मुद्दे ने देश की राजनीति में उबाल पैदा कर दिया है। पूरा देश इसे एक गंभीर और संवेदनशील मुद्दे के रूप में देख रहा है। क्योंकि चुनाव आयोग व भाजपा की जुगलबंदी ने भारत जैसे विशाल लोकतंत्र की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़ा कर दिया है। विपक्ष तो सीधे तौर पर इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहा है। देश के मतदाता इस समय चुनाव आयोग के पक्षपातपूर्ण रवैये से परेशान होकर यही कहते दिखाई दे रहे हैं कि – तू इधर उधर की न बात कर। ये बता कि क़ाफ़िला क्यों लुटा ? मुझे रहज़नों से ग़रज़ नहीं। तेरी रहबरी का सवाल है??

# दिल्ली नगर निगम : संजीव सिंह के हवाले लाइसेंसिंग व तहबाजारी

➲ इरशान सईद, नई दिल्ली

## रेहड़ी पटरी वालों को किया जाएगा भय और बिचौलियों से मुक्तः संजीव सिंह

दिल्ली नगर निगम की लाइसेंसिंग एवं तहबाजारी समिति के नए चेयरमैन के रूप में निगम पार्षद संजीव सिंह ने औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया। इस अवसर पर उनके समर्थकों, व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों और मीडिया से जुड़े लोगों ने उनके कार्यालय पहुंचकर शॉल ओढ़ाकर और पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया। संजीव सिंह ने पदभार ग्रहण के बाद कहा कि दिल्ली के बाजारों को "व्यवस्थित, पारदर्शी और सहज" रूप में रेगुलराइज़ करना उनकी प्राथमिकता रहेगी, ताकि व्यापार और नागरिक सुविधाओं के बीच बेहतर संतुलन स्थापित किया जा सके।

कार्यभार ग्रहण के बाद संजीव सिंह ने अपने राजनीतिक सफर और सार्वजनिक जीवन के अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति का मूल भाव "सम्मान और संवाद" है—वे छोटे-बड़े सभी से दिल से आदर-सत्कार करते हैं और कभी भी व्यक्तिगत रिश्तों पर राजनीति को हावी नहीं होने देते। उन्होंने भरोसा जताया कि निगम की लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को सरल, समयबद्ध और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए डिजिटल ट्रैकिंग, एकल-विंडो सहायता और शिकायत निवारण की पारदर्शी व्यवस्था पर विशेष बल दिया जाएगा।

**वैध लाइसेंस और नियमों का पालन करने वालों के हित सुरक्षित रहेंगे**

दिल्ली के पारंपरिक बाजारों की जरूरतों पर बोलते हुए संजीव सिंह ने कहा कि रेहड़ी-पटरी (तहबाजारी) के रेगुलराइज़ेशन में "मानवीय और व्यावहारिक दृष्टिकोण" अपनाया जाएगा। फुटपाथ की उपलब्धता, पैदल यात्रियों की सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा, स्वच्छता और यातायात की सुगमता—इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जोनवार योजना बनाई जाएगी।

उन्होंने संकेत दिया कि मार्केट एसोसिएशनों, स्थानीय आरडब्ल्यूए और ट्रैफिक पुलिस के साथ समन्वय कर जगह-जगह माइक्रो-प्लान तैयार किए जाएंगे, ताकि अतिक्रमण, अव्यवस्था और बार-बार की कार्रवाई की स्थिति से स्थायी समाधान निकले।

संजीव सिंह ने व्यापारियों और छोटे विक्रेताओं को आश्वस्त किया कि वैध लाइसेंस और नियमों का पालन करने वालों के हित पूरी मजबूती से सुरक्षित रहेंगे। वहीं, फर्जी या बिचौलिया तंत्र पर कड़ी लगाम लगाने के लिए निगरानी तंत्र और निरीक्षण की प्रक्रिया को तकनीक-सहायित बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लाइसेंसिंग से जुड़ी फीस, नवीनीकरण और दस्तावेजी औपचारिकताओं में अनावश्यक देरी और भ्रम को दूर करने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे, साथ ही हेल्पडेस्क और आउटरीच कैंप के माध्यम से हितधारकों को जानकारी दी जाएगी। पदभार ग्रहण के बाद कार्यालय में शुभचिंतकों का निरंतर तांता लगा रहा।

पत्रकार समुदाय से जुड़े इरफ़ान शेख, वेबवार्ता न्यूज़ एजेंसी के संपादक सईद अहमद और सिम्स होटल मैनेजमेंट इंस्टिट्यूट के चेयरमैन बिलाल हुसैन भी मौजूद रहे। लोगों ने उम्मीद जताई कि संजीव सिंह की मेहनत और ईमानदारी इस जिम्मेदारी में भी नई मिसाल कायम करेगी।

कई उपस्थितों ने कहा कि दिल्ली के बाजारों की दशकों पुरानी समस्याओं—जैसे अनियमित तहबाजारी, अग्नि सुरक्षा खामियां, पार्किंग की समस्या और लाइसेंसिंग में जटिलताएं—का समाधान यदि ठोस रोडमैप के साथ शुरू हो गया, तो राजधानी की स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा संबल मिलेगा। संजीव सिंह ने अंत में कहा कि वे समयबद्ध लक्ष्य तय कर काम करेंगे और हर तिमाही प्रगति की सार्वजनिक रिपोर्ट जारी करने की कोशिश होगी, ताकि जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हो।

उन्होंने सभी पक्षों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि "दिल्ली के बाजार तभी सुंदर, सुरक्षित और समृद्ध बनेंगे जब व्यवस्था और व्यवहार—दोनों में सुधार होगा।"



भावना को भी कमजोर करती है। असहमति का अर्थ यह नहीं कि विरोधी के प्रति घृणा व्यक्त की जाए। असहमति का अर्थ यह है कि आप अपने विचार स्पष्ट करें, लेकिन सम्मान, सहिष्णुता और तर्क की मर्यादा बनाए रखें।

आज की राजनीति में अपशब्दों और अभद्रता की प्रवृत्ति का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह समाज में नई पीढ़ी के लिए उदाहरण स्थापित करती है। जब युवा नेताओं और समर्थकों के संवाद में अशोभनीय भाषा का प्रयोग देखेंगे, तो वे इसे सामान्य मानने लगेंगे। यह समाज की नैतिक पतन की ओर पहला कदम है। ऐसे में आवश्यक है कि हम राजनीतिक नेताओं से अपेक्षा करें कि वे अपने भाषणों और व्यवहार में मर्यादा का पालन करें। लोकतंत्र केवल कानून और संविधान तक सीमित नहीं; यह समाज की नैतिक चेतना और मूल्य प्रणाली पर भी आधारित है।

राजनीति में गरिमा बनाए रखने का अर्थ केवल विरोधियों का सम्मान करना ही नहीं है, बल्कि यह अपने समर्थकों और अनुयायियों के लिए भी नैतिक मार्गदर्शन करना है। जब नेता शालीन भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वह समाज में एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करता है। यह वातावरण विभिन्न विचारों, मतभेदों और बहस के लिए सुरक्षित मंच प्रदान करता है। इसके विपरीत, अशोभनीय और अपमानजनक भाषा समाज में भय, द्वेष और असहमति को बढ़ाती है।

संपूर्ण लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि नेताओं में नैतिक चेतना और शब्दों की शक्ति की समझ विकसित हो। शब्द केवल माध्यम नहीं हैं; ये समाज की सोच, संस्कृति और भविष्य को आकार देते हैं। यदि राजनीतिक नेतृत्व अपने शब्दों की गंभीरता को समझे और संवाद में मर्यादा बनाए रखे, तो समाज में सम्मान, शांति और सहयोग की भावना स्वाभाविक रूप से विकसित होगी।

भले ही राजनीति में मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन व्यक्तिगत हमलों और अपशब्दों के बिना असहमति को व्यक्त किया जा सकता है। इसके लिए नेतृत्व को अपनी भाषा की संवेदनशीलता और प्रभाव को समझना होगा। लोकतंत्र में असहमति के लिए जगह हमेशा होनी चाहिए, लेकिन वह सम्मानजनक और सभ्य होनी चाहिए।

**» हमारे समाज ने देखा है कि जब नेता मर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक रूप में भी होता है। भाषा की गरिमा बनाए रखने से युवा पीढ़ी सही मूल्य और नैतिक दृष्टिकोण सीखती है। इसके विपरीत, अपशब्दों और अभद्रता की प्रवृत्ति समाज में हिंसा, द्वेष और असहमति को जन्म देती है।**

**» राजनीति में गरिमा बनाए रखने का अर्थ केवल विरोधियों का सम्मान करना ही नहीं है, बल्कि यह अपने समर्थकों और अनुयायियों के लिए भी नैतिक मार्गदर्शन करना है। जब नेता शालीन भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वह समाज में एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करता है। यह वातावरण विभिन्न विचारों, मतभेदों और बहस के लिए सुरक्षित मंच प्रदान करता है। इसके विपरीत, अशोभनीय और अपमानजनक भाषा समाज में भय, द्वेष और असहमति को बढ़ाती है।**

यह प्रक्रिया समाज में न्याय, समानता और मानवता के मूल्यों को मजबूत करती है।

साथ ही, राजनीतिक संवाद में महिलाओं के प्रति सम्मान बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजनीति केवल पुरुषों का क्षेत्र नहीं है; समाज की आधी शक्ति महिलाओं में है। जब राजनीति में महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा प्रयोग होती है, तो यह समाज के बड़े हिस्से को चोट पहुँचाती है। महिलाओं की गरिमा और सम्मान का ध्यान रखना न केवल नैतिक दायित्व है, बल्कि यह लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा भी करता है।

हमारे समाज ने देखा है कि जब नेता मर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक रूप में भी होता है। भाषा की गरिमा बनाए रखने से युवा पीढ़ी सही मूल्य और नैतिक दृष्टिकोण सीखती है। इसके विपरीत, अपशब्दों और अभद्रता की प्रवृत्ति समाज में हिंसा, द्वेष और असहमति को जन्म देती है।

इसलिए, अब समय आ गया है कि राजनीति में फिर से शिष्टता, गरिमा और सम्मानजनक भाषा का पुनर्जागरण हो। नेताओं को अपने भाषणों और सार्वजनिक संवाद में संयम, विवेक और शालीनता बनाए रखना होगा। यह केवल राजनीतिक नैतिकता की आवश्यकता नहीं, बल्कि यह लोकतंत्र और समाज की आत्मा की रक्षा का माध्यम भी है।

लोकतंत्र में स्वस्थ संवाद के बिना समाज का विकास असंभव है। राजनीतिक असहमति को अभद्रता में बदलने की प्रवृत्ति समाज को कमजोर करती है। अतः सभी राजनीतिक दलों, नेताओं और समाज के जागरूक नागरिकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भाषा और संवाद का स्तर उच्च बना रहे। यह केवल शब्दों का संघर्ष नहीं, बल्कि समाज की नैतिकता, संस्कार और लोकतांत्रिक मूल्य संरचना की रक्षा है।

अंततः, लोकतंत्र केवल कानून और संविधान तक सीमित नहीं है। यह समाज की नैतिक चेतना, संवाद की शालीनता और नेतृत्व की जिम्मेदारी पर भी आधारित है। जब राजनीतिक भाषा गरिमामय होगी, तभी लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति और समाज की एकता सुरक्षित रह सकेगी। आज समय है कि हम सब मिलकर राजनीति में भाषा की गरिमा की पुनर्स्थापना करें, ताकि लोकतंत्र की आत्मा स्वस्थ और समाज का भविष्य उज्जवल बना रहे।

# राजनीति में भाषा की गरिमा: लोकतंत्र की आत्मा की रक्षा

**लोकतंत्र में असहमति और आलोचना आवश्यक हैं, लेकिन जब यह अभद्रता और घृणा का रूप ले लेती है, तो समाज की आत्मा को चोट पहुँचती है। नेताओं द्वारा अपशब्दों और व्यक्तिगत हमलों का प्रयोग लोकतंत्र की गरिमा के लिए घातक है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए राजनीतिक संवाद में शिष्टता, संयम और सम्मान अनिवार्य हैं। वैचारिक मतभेद स्वीकार किए जा सकते हैं, पर भाषा और व्यवहार की मर्यादा बनाए रखना ही लोकतंत्र की आत्मा को जीवित रखता है। राजनेताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके शब्द समाज को बांटे नहीं, बल्कि जोड़ें और प्रेरित करें...**

➲ डॉ. प्रियंका सौरभ

लोकतंत्र केवल बहुसंख्यक मतदान और शासन प्रणाली तक सीमित नहीं है। यह समाज की सोच, नैतिकता, संवाद की गुणवत्ता और व्यक्तिगत आचरण का प्रतिबिंब भी है। लोकतंत्र में असहमति और आलोचना का होना स्वाभाविक है, क्योंकि यह समाज को सतत सुधार और विकास की ओर प्रेरित करता है। लेकिन जब असहमति अभद्रता, कटुता और घृणा के रूप में प्रकट होने लगे, तब यह केवल राजनीतिक बहस नहीं रह जाती; यह समाज की आत्मा पर चोट पहुँचाती है।

वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि राजनीतिक संवाद का स्तर लगातार गिर रहा है। नेताओं के भाषणों में पहले की अपेक्षा अधिक व्यक्तिगत आरोप, अपमानजनक टिप्पणियाँ और कटु शब्दावली का प्रयोग हो रहा है। यह केवल राजनीतिक असहमति का विस्तार नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की गरिमा के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। लोकतंत्र के मूल मूल्य में शामिल है- विचारों का सम्मान, विरोधियों के प्रति सहिष्णुता और संवाद की मर्यादा। जब ये मूल्य अनदेखा किए जाते हैं, तो समाज में असंतुलन और सामाजिक कट्टरता की स्थिति उत्पन्न होती है।

एक महिला होने के नाते यह अत्यंत पीड़ादायक है कि राजनीतिक भाषणों में महिलाओं के प्रति अपमानजनक और अभद्र टिप्पणियाँ की जाती हैं। यह केवल व्यक्तिगत हमला नहीं है, बल्कि यह समाज के नैतिक ताने-बाने पर भी चोट है। किसी भी ज़िम्मेदार नेता द्वारा अशोभनीय और असंसदीय विशेषणों का प्रयोग लोकतंत्र और उसकी गरिमा के लिए घातक होता है। नेताओं को यह समझना होगा कि उनके शब्द केवल उनके समर्थकों तक सीमित नहीं रहते; उनका प्रभाव समाज के हर वर्ग और पीढ़ी पर पड़ता है।

इतिहास हमें यह सिखाता है कि राजनीति में गरिमा और शालीनता बनाए रखने से ही समाज स्थिर और सभ्य रहता है। देश ने अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को देखा है, जिनके समय में राजनीतिक असहमति के बावजूद संवाद का स्तर उच्च रहा। वे अपने विपक्षियों का सम्मान करते थे, वैचारिक मतभेद होने पर भी व्यक्तिगत अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। उनका आदर्श यही था कि राजनीति का उद्देश्य केवल सत्ता नहीं, बल्कि समाज को शिक्षित, संगठित और सुसंस्कृत बनाना भी है। आज जब हम उनके दौर से तुलना करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान में राजनीतिक संवाद अपने नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों से बहुत दूर चला गया है।

भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं है। यह विचारों का माध्यम, संस्कारों का प्रतिबिंब और सामाजिक दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति है। जब भाषा अशोभनीय और अपमानजनक हो जाती है, तो यह न केवल व्यक्तियों को अपमानित करती है, बल्कि समाज में आपसी विश्वास और सहयोग की



# हुदा ज़रीवाला ने गंदेरबल कांड पर फर्जी आरोपों का किया खंडन, कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

➲ वेब वार्ता, श्रीनगर

बीबीसी लंदन की पूर्व संवाददाता, राजनीतिक विश्लेषक और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हुदा ज़रीवाला ने प्रेस क्लब कश्मीर में प्रेस वार्ता कर गंदेरबल में नाबालिग लड़की की हत्या के मामले से उनकी तस्वीर को जोड़कर फैलाए जा रहे फर्जी आरोपों पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने इसे उनकी छवि धूमिल करने और जनता को गुमराह करने की सुनियोजित साजिश करार दिया। ज़रीवाला ने कहा कि सोशल मीडिया और कुछ ऑनलाइन पोर्टलों पर उनकी तस्वीर का इस्तेमाल कर उन्हें अपराध से जोड़ना पूरी तरह निराधार और अपमानजनक है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की गलत सूचना गंभीर नतीजे ला सकती है और यह न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर हमला है बल्कि सामाजिक शांति को भी प्रभावित करती है।

पुलिस ने किया आधिकारिक खंडनः प्रवक्ता ने कश्मीर साइबर पुलिस और गंदेरबल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने तत्काल आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी कर यह स्पष्ट कर दिया कि वायरल तस्वीर और गंदेरबल हत्याकांड के बीच कोई संबंध नहीं है।

मानहानि का मुकदमा और कानूनी कार्रवाईः हुदा ज़रीवाला ने बताया कि उन्होंने इस फर्जी खबर को प्रसारित करने वाले सभी पोर्टलों और व्यक्तियों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है और इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाः प्रेस वार्ता में उन्होंने गंदेरबल की पीड़ित बच्ची के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और भरोसा दिलाया कि दोषियों को सख्त सजा दिलाने की प्रक्रिया में वे पूरी तरह साथ खड़ी हैं।

गलत सूचना के खिलाफ सामूहिक लड़ाई जरूरीः ज़रीवाला ने कहा कि पत्रकारिता की नैतिकता और जिम्मेदारी के साथ काम करना समय की मांग है। उन्होंने अपील की कि संवेदनशील मामलों में बिना प्रमाणित तथ्यों के कोई भी सामग्री साझा न की जाए, ताकि समाज में भय और भ्रम न फैले।

बदनामी की कोशिश मुझे विचलित नहीं करेगीः अंत में उन्होंने कहा कि ये प्रयास उन्हें उनके राजनीतिक और सामाजिक कार्यों से नहीं रोक सकते। वह सार्वजनिक सेवा और राजनीतिक कार्यों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ जारी रखेंगी।

# भारत के हथकरघा: विरासत बुन रहे हैं, भविष्य को सशक्त बना रहे हैं

➲ पवित्रा मार्गेरिटा

हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस एक ऐसे क्षण का प्रतीक है जो भारत के अतीत को उसके भविष्य से धागे-दर-धागा, कहानी-दर-कहानी जोड़ता है। यह दिन 1905 के स्वदेशी आंदोलन का स्मरण कराता है, जब हाथ से बुना कपड़ा न केवल एक वस्त्र के रूप में, बल्कि प्रतिरोध, आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक पहचान के एक सशक्त प्रतीक के रूप में उभरा। एक नई शुरुआत के रूप में प्रारंभ हुआ यह प्रतीक विरासत, कला और सामुदायिक अभिव्यक्ति के ताने-बाने में बदल गया।

हथकरघा क्षेत्र आज ग्रामीण और अर्ध-शहरी भारत में 35 लाख से अधिक बुनकरों और संबद्ध श्रमिकों को रोजगार देता है, जिनमें से 72% महिलाएँ हैं। अपनी समृद्धि के कारण, यह क्षेत्र अब एक ऐसे दौर में खड़ा है, जहाँ इसे बिना किसी कमी के नवाचार, बिना किसी अभाव के तकनीक और बिना किसी हाशिए के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है।

भारत में हथकरघा बुनाई की समृद्ध विरासत हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यताओं से जुड़ी है। सहस्राब्दियों से, यह शिल्प फलता-फूलता रहा है और प्रत्येक क्षेत्र ने बुनाई, विशिष्ट तकनीकों, रूपांकनों और अर्थों का अपना तौर-तरीका विकसित किया है। असम के मुगा रेशम की सुनहरी चमक से लेकर प्रसिद्ध बनारसी रेशमी साड़ियों तक; कश्मीर की पश्मीना से लेकर तमिलनाडु की चमकदार कांजीवरम साड़ियों तक, भारत की हथकरघा परंपराएँ उतनी ही विविध हैं, जितने इसके लोग।

एक बुनकर के घर में, जहाँ करघा अक्सर रसोई या एक तरफ के ₹आँगन₹ के साथ जगह साझा करता है, प्रत्येक साड़ी या शॉल एक अनोखी कथा को संप्रेषित करने के लिए तैयार की जाती है। न्यूनतम तकनीक, लेकिन अधिकतम रचनात्मकता के साथ, बुनकर धागों को विरासत में बदल देते हैं। बिना सिले हुए कपड़े, जो भारतीय परिधानों के प्रतीक हैं, क्षेत्रीय अभिव्यक्ति, अनुष्ठानों और कहानी कहने के कैनवास बन गए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के शब्दों में, ₹हथकरघा भारत की विविधता और अनगिनत बुनकरों व कारीगरों की कुशलता को दर्शाता है।₹

देश के कुल हथकरघा श्रमिकों में से लगभग 52% पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवास करते हैं और 2019-20 की हथकरघा जनगणना के अनुसार, असम 12.83 लाख से अधिक बुनकरों और 12.46 लाख करघों के साथ देश में अग्रणी है। ₹असम का मैनचेस्टर₹ कहा जाने वाला सुआलकुची, पारंपरिक बुनाई उत्कृष्टता का प्रमाण है, जबकि धेमाजी जिले में मचखोवा जैसे विकासशील केंद्र इस क्षेत्र को और बढ़ावा देते हैं।

इसके सांस्कृतिक महत्व को समझते हुए, पूर्वोत्तर के लिए सरकार का समर्पित मिशन आदिवासी बुनाई को बढ़ावा देने, हथकरघा पर्यटन को प्रोत्साहित करने, निर्यात को सुविधाजनक बनाने और युवाओं को प्रशिक्षित करने पर केंद्रित है। इस क्षेत्र को एक वैश्विक डिज़ाइन केंद्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है, जहाँ प्राकृतिक रेशे, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक उद्यमिता का संगम होता है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के अंतर्गत, पूर्वोत्तर राज्यों के 123 छोटे समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। शिवसागर में एक बड़ा हथकरघा समूह स्थापित किया गया है तथा इम्फाल पूर्व और सुआलकुची में ऐसी दो परियोजनाएँ चल रही हैं। इस क्षेत्र में लगभग 3.08 लाख बुनकरों ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अंतर्गत सार्वभौमिक एवं किफायती सामाजिक सुरक्षा के लिए नामांकन कराया है, जिनमें असम





कम करता है।

यह पहल एक व्यापक योजना का हिस्सा है, जिसके तहत 2032 तक घरेलू तेल और गैस उत्पादन को तिगुना बढ़ाकर 85 मिलियन टन और राष्ट्रीय भंडार को दोगुना करके एक से दो बिलियन टन के बीच किया जा सकता है। लगभग 8 मिलियन टन उत्पादन के बराबर, अतिरिक्त 100-250 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस उपलब्ध कराने के लिए प्लग-एंड-प्ले आधार पर अपतटीय साझा बुनियादी ढाँचा बनाया जाएगा। ये सभी उपाय न केवल पहले से अटकी हुई खोजों का मुद्रीकरण करेंगे, बल्कि एक आत्मनिर्भर ईएंडपी इकोसिस्टम का निर्माण भी करेंगे, जहाँ स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं की हिस्सेदारी आज के 25-30 प्रतिशत से बढ़कर 70 प्रतिशत से अधिक हो जाएगी। यह आज़ादी के बाद से भारत का सबसे व्यापक अपस्ट्रीम सुधार है।

साथ ही, ऊर्जा परिवर्तन के क्षेत्र में भारत वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनकर उभरा है। भारत 2030 के लक्ष्य से पाँच साल पहले ही 2025 तक 50% स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य तक पहुँच गया है। जैव ईंधन और हरित हाइड्रोजन प्रायोगिक स्तर से उत्पादन की ओर बढ़ रहे हैं; इथेनॉल मिश्रण और सीबीजी स्केल-अप एक नए ग्रामीण-औद्योगिक आधार का निर्माण कर रहे हैं; एलएनजी के बुनियादी ढाँचे का विस्तार जारी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि असैन्य परमाणु ऊर्जा को निजी भागीदारी के लिए खोल दिया गया है। वर्तमान में, 10 नए परमाणु रिएक्टर चालू हैं, और भारत का लक्ष्य अपनी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को दस गुना बढ़ाना है। यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने की भव्य योजना का हिस्सा है।

प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की घोषणा हमारी औद्योगिक रणनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ऐसे समय में जब दुनिया लिथियम, दुर्लभ मृदा तत्व , निकल और कोबाल्ट के सामरिक महत्व को पहचान रही है, भारत ने 1,200 से अधिक स्थलों पर अन्वेषण शुरू किया है और साझेदारी, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण का ढाँचा तैयार कर रहा है ताकि नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, ईवी और उन्नत रक्षा क्षेत्र कभी भी बाहरी अवरोधों के अधीन न रहें।

राष्ट्रीय सुरक्षा लाल किला चार्टर का एक अन्य स्तंभ था। ऑपरेशन सिंदूर ने परमाणु ब्लैकमेल के युग का अंत करते हुए वास्तविक समय में भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया और यह संदेश दिया कि आक्रमण का जवाब तेज़ी और कुशलता से दिया जाएगा।

सिंधु जल संधि को स्थगित करना संप्रभुता का साहसिक दावा है। सबसे बढ़कर, मिशन सुदर्शन चक्र का अनावरण, युद्धभूमि में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन की रक्षा से प्रेरित है, जो मोदी की शैली— सभ्यतागत प्रतीकवाद के अत्याधुनिक तकनीक से मेल का प्रतीक है।

एक बहुस्तरीय स्वदेशी सुरक्षा कवच भारत के महत्वपूर्ण संस्थानों की साइबर, भौतिक और हाइब्रिड खतरों से रक्षा करेगा। प्रधानमंत्री ने हमारे लड़ाकू विमानों को शक्ति प्रदान करने वाले इंजनों के डिज़ाइन और निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय चुनौती जारी की है, और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और संस्थानों से संयोजन या असेंबली से ऑथरशिप तक की छलांग लगाने का आह्वान किया है।

प्रधानमंत्री ने कठोर सत्यों से भी परहेज नहीं किया। उन्होंने उद्योग जगत और किसानों से आत्मनिर्भरता अपनाने और उर्वरकों का संतुलित उपयोग करने का आग्रह किया।

हालाँकि भारत दुनिया की फार्मेसी है, जो वैश्विक टीकों का 60% का उत्पादन करता है, अब इसे नई दवाओं, टीकों और उपकरणों के क्षेत्र में भी अग्रणी बनने की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। यह बायोई3 नीति के तहत बायोफार्मा को निर्णायक बल देने के साथ-साथ है, जहाँ हमारी महत्वाकांक्षा ऐसी दवाओं का पेटेंट और उत्पादन करना है जो किफायती और विश्वस्तरीय दोनों हों।

घोषित किए गए कर और कानूनी सुधार भी उतने ही साहसिक हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि 1961 का आयकर अधिनियम, जो स्वयं उस युग का अवशेष है, अब बदला जा रहा है। नया आयकर विधेयक जटिलता को कम कर रहा है, 280 अनावश्यक धाराओं को समाप्त कर रहा है और 12 लाख रुपये तक की राहत प्रदान कर रहा है। फेसलेस मूल्यांकन की शुरुआत ने प्रणाली को पारदर्शी, कुशल और भ्रष्टाचार-मुक्त बना दिया है।

दिवाली तक लॉन्च किया जाने वाला अगली पीढ़ी का जीएसटी 2.0, दरों को और अधिक तर्कसंगत बनाएगा और अनुपालन को बढ़ावा देगा। 40,000 से ज़्यादा अनावश्यक अनुपालनों को समाप्त करने, 1,500 से ज़्यादा पुराने कानूनों को निरस्त करने और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के साथ, यह नेहरू के आर्थिक पिंजरे को तोड़ने जैसा है। ये सुधार केवल बैलेंस शीट में ही नहीं, बल्कि जीवन में भी सुधार लाते हैं। 25 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों तक पहुँचकर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण - ने कल्याण में जवाबदेही को अंतर्निहित किया है और 25 करोड़ से ज़्यादा भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला है।

रोज़गार पर फोकस को भी केंद्र में लाया गया है। पीएम विकसित भारत रोज़गार योजना 1 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ लॉन्च की गई है; नए रोज़गार पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, नए रोज़गार के अवसरों का सृजन करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, और इस कार्यक्रम का लक्ष्य लगभग 3.5 करोड़ युवा भारतीयों तक पहुँचना है।

महत्वाकांक्षा को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रधानमंत्री ने अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है—इस निकाय को आर्थिक गतिविधियों के पूरे इकोसिस्टम को नया रूप देने के लिए बनाया गया है। इसका अधिदेश जितना साहसिक है, उतना ही लंबे अर्से से अपेक्षित भी है: हमारे स्टार्टअप्स और एमएसएमई पर बोझ डालने वाली अनुपालन लागत में कटौती करना, उद्यमों को निरंतर मनमानी कार्रवाई की छाया में रहने से छुटकारा दिलाना, तथा जटिल कानूनों को सरल, पूर्वानुमानित और व्यवस्थित ढांचे में ढालना।

15 अगस्त को घोषित सुधार, केवल अगले दिन की सुर्खियों के लिए नहीं, बल्कि 2047 के भारत से संबंधित हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री ने हमें याद दिलाया, दुनिया एक प्राचीन सभ्यता को - अपनी जड़ों को त्यागकर नहीं, बल्कि उनसे शक्ति प्राप्त करके आधुनिक शक्ति में तब्दील होते हुए देख रही है।

लेखक केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं।

# परिपेक्ष्यविकसित भारत के लिए मोदी का सुधारों का ब्रह्मास्त्र

➲ **हरदीप एस पुरी**

मुझे अपने स्कूल के दिनों से ही 15 अगस्त के भाषणों में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा है, लेकिन शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी का 12वें स्वतंत्रता दिवस का भाषण अभूतपूर्व और असाधारण था। इसमें विकसित भारत के पथ पर भारत की गति बढ़ाने के दिशा में सीधे तौर पर लक्षित–ब्रह्मास्त्र- अर्जुन का अकाट्य पौराणिक अस्त्र - छोड़ा गया।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्याप्त असामान्य उथल-पुथल के दौर के बीच, विकसित भारत का सपना संजोए भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में निरंतर आगे बढ़ना जारी रखे हुए है। यह भाषण केवल अपनी व्यापकता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने दायरे— साहसिक, भविष्योन्मुखी और 1.4 बिलियन लोगों के भाग्य को नया आकार देने में सक्षम अगली पीढ़ी के सुधारों —और उस विजन के प्रति स्पष्टता के लिए भी उल्लेखनीय है, जिसका यह राष्ट्र इससे पहले कभी साक्षी नहीं रहा।

उदाहरण के लिए, डिजिटल इंडिया स्टैक को ही लें, यूपीआई दुनिया के आधे रीयल-टाइम लेनदेन के लिए उत्तरदायी है और साल के अंत तक होने वाला, पहली मेड-इन-इंडिया चिप का लॉन्च, वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत की अग्रणी स्थिति को दर्शाता है। ऐसे समय में जब राष्ट्रों की नियति सेमीकंडक्टर निर्धारित करते हैं, महत्वपूर्ण तकनीकों पर संप्रभुता का भारत का यह दावा किसी डिजिटल स्वराज से कम नहीं है।

ऊर्जा सुरक्षा लंबे समय से भारत के विकास की राह की सबसे बड़ी कमज़ोरी रही है। दशकों तक, झिझक और "नो गो" क्षेत्रों ने अन्वेषण को बाधित किया और आयात पर निर्भरता बढ़ा दी। वह दौर अब बीत चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, भारत ने ईईजेड में "नो गो" क्षेत्रों को लगभग 99% तक कम कर दिया है, जिससे 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ईएंडपी के लिए मुक्त हो गया है। ओएएलपी के साथ, इसने भारतीय और वैश्विक दिग्गजों, दोनों के लिए समान रूप से एक विशाल क्षेत्र खोल दिया है—हमारे हाइड्रोकार्बन बेसिन अब निष्क्रिय नहीं रहेंगे, बल्कि राष्ट्रीय प्रगति के लिए उपयोग में लाए जाएँगे।

लाल किले की प्राचीर से घोषित ऐतिहासिक राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में एक महत्वाकांक्षी दूरदर्शी एजेंडा निर्धारित करता है। इस मिशन का लक्ष्य लगभग 40 वाइल्डकैट कुओं की ड्रिलिंग के माध्यम से 600-1200 मिलियन मीट्रिक टन तेल और गैस भंडारों का पता लगाना है। पहली बार, बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक भारत अपनी जटिल अपतटीय सीमाओं को व्यवस्थित रूप से खोलेगा, एक ऐसे ढाँचे के साथ जो सूखे कुओं की स्थिति में 80 प्रतिशत तक और व्यावसायिक खोज पर 40 प्रतिशत तक लागत की वसूली की अनुमति देकर निवेश के जोखिम को



के 1.09 लाख बुनकर शामिल हैं।

पुनरुद्धार से पुनरुत्थान तक

पिछले 11 वर्षों में, वस्त्र मंत्रालय के कई विशिष्ट कार्यक्रमों के जरिये भारत के हथकरघा उद्योग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। समूह विकास पहलों, आधुनिक उपकरणों और ऋण तक पहुँच ने बुनाई को घरेलू गतिविधियों से सूक्ष्म उद्यमों में बदलने में मदद की है।

राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और कच्चा माल आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) ने सूत की आपूर्ति, करघा उन्नयन, कार्य शेड निर्माण से लेकर आधुनिक उपकरणों तक पहुँच प्रदान करके शुरू-से-अंत तक सहायता सुनिश्चित की है। पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई जैसी योजनाओं से अत्यंत आवश्यक वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा मिली है। बुनकरों की मुद्रा योजना के तहत रियायती ऋण और अतिरिक्त राशि (मार्जिन मनी) सहायता ने कार्यशील पूंजी तक पहुँच का विस्तार किया है।

बुनकरों और उद्यमियों के लिए लागत कम करने और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से, उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों में हथकरघा पार्क स्थापित करने की योजना है। इन एकीकृत स्थानों में रंगाई इकाइयाँ, तुरंत शुरू करने योग्य (प्लग-एंड-प्ले) कार्यशालाएँ, डिजिटल प्रयोगशालाएँ, शोरूम तथा सौर ऊर्जा एवं अपशिष्ट पुनर्चक्रण जैसी सतत संरचनाएँ शामिल होंगी।

साथ ही, निफ्ट, एनआईडी और अन्य डिज़ाइन संस्थानों के साथ साझेदारी में क्षेत्रीय स्तर पर डिज़ाइन और नवाचार केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जहाँ डिज़ाइनर और बुनकर बुनाई के पारंपरिक सार का सह-निर्माण, संरक्षण और दस्तावेज़ीकरण करेंगे, और सांस्कृतिक डिज़ाइनों का ऑनलाइन संग्रह तैयार करेंगे। ये अभिनव कार्यक्रम वैश्विक स्तर पर भारतीय हथकरघा के सौंदर्य और व्यावसायिक आकर्षण, दोनों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

तकनीक को अपनाना ज़रूरी है, लेकिन हथकरघा की आत्मा अक्षुण्ण रहनी चाहिए। अब एआई का उपयोग रुझानों की भविष्यवाणी और डिजिटल रंग चयन के लिए किया जा रहा है, जबकि ब्लॉकचेन उत्पाद का पता लगाना सुनिश्चित करता है और जालसाजी का मुकाबला करते हुए इस क्षेत्र को नए डिजिटल युग में ज़िम्मेदारी से आगे बढ़ाता है।

संयोजन की पुनर्कल्पनाः ई-कॉमर्स और बाज़ार पहुँच

विपणन और ई-कॉमर्स गेम-चेंजर के रूप में कार्य करेंगे। रणनीति सरल लेकिन क्रांतिकारी हैः बिचौलियों को खत्म करना, प्रचार के माध्यम से उपस्थिति बढ़ाना और बुनकरों को प्रारंभ से ही मंचों, प्रदर्शनियों और बाज़ारों से सीधे जोड़ना। इसी क्रम में, हथकरघा बुनकरों को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) से जोड़ा जा रहा है और indiahandmade.com एक पारदर्शी, शून्य कमीशन वाला मंच प्रदान कर रहा है, जो उचित पारिश्रमिक, वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने की निःशुल्क व्यवस्था, आसान वापसी और सुरक्षित भुगतान विकल्प सुनिश्चित करता है।

इन प्रयासों के पूरक के रूप में, 106 हथकरघा उत्पादों को पहले ही भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्रदान किए जा चुके हैं, जो उनकी अनूठी क्षेत्रीय विरासत और शिल्प कौशल का सम्मान करते हैं। 'हथकरघा चिह्न' और 'भारतीय हथकरघा ब्रांड' के साथ, ये उपाय हाथ से बुने हुए उत्पादों की विशिष्ट पहचान को मज़बूत करते हैं, और खरीदारों को उनकी प्रामाणिकता, गुणवत्ता और पर्यावरण-अनुकूलता का आश्वासन देते हैं। आने वाला कल समावेशी क्षमता निर्माण पर निर्भर करता है। विशेष रूप से पारंपरिक तकनीकों के संरक्षण की दृष्टि से युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम, वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के साथ जोड़े गए हैं - जिनमें स्वास्थ्य बीमा, शैक्षिक छात्रवृत्ति और बुनकरों के लिए पेंशन लाभ शामिल हैं।

साथ ही, पर्यावरण-अनुकूल रंग, कार्बन उत्सर्जन न करने वाले उत्पादन मॉडल और जीवन-चक्र मूल्यांकन इस क्षेत्र की स्थायित्व के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हैं, और भारतीय हथकरघा को वैश्विक हरित आंदोलन के साथ जोड़ते हैं। वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से आईआईटी दिल्ली द्वारा तैयार की गई ₹भारतीय हथकरघा क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन आकलनः विधियाँ और केस स्टडीज़₹ शीर्षक वाली नई रिपोर्ट, एक संदर्भ और मार्गदर्शिका दोनों का काम करती है, जो भारत के लिए अधिक स्थायी संस्करण का मार्ग प्रशस्त करती है। पारंपरिक हथकरघा प्रथाओं में पर्यावरणीय चेतना को समाहित करके, यह अध्ययन सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के प्रति वस्त्र मंत्रालय की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि हथकरघा मूल्य श्रृंखला न केवल जलवायु-सहनीय हो, बल्कि नैतिक उत्पादन, समान मजदूरी और सम्मानजनक आजीविका पर भी आधारित हो।

भारत के हथकरघा क्षेत्र का दृष्टिकोण आंशिक रूप से सांस्कृतिक, आंशिक रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित और पूरी तरह से मानवीय है। महत्वाकांक्षी लक्ष्यों में निर्यात में वृद्धि, नए रोजगार सृजित करना और विभिन्न समूहों के बुनकरों को डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है। भविष्य तीन स्तंभों पर टिका हैः आत्मा को बनाए रखना, निर्माता का समर्थन करना और पहुँच का विस्तार करना।

पारिश्रमिक से आगे बढ़ते हुए, इस क्षेत्र का उद्देश्य फेलोशिप, स्टार्टअप अनुदान और इनक्यूबेशन केंद्रों के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देना है तथा विशेष रूप से अग्रणी युवाओं और महिलाओं को प्रोत्साहित करना है। ब्रांडिंग, मार्गदर्शन व सहायता और व्यवसाय विकास सहायता स्वामित्व-आधारित उद्यमों को बढ़ावा देगी, जो सांस्कृतिक रूप से प्रामाणिक और व्यावसायिक रूप से व्यावहारिक दोनों होंगे।

हथकरघा 2047 तक विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा में एक प्रमुख प्रेरक शक्ति बना हुआ है, साथ ही देश के सांस्कृतिक लोकाचार को संरक्षित कर रहा है और स्थायित्व एवं विवेकपूर्ण उपभोग को बढ़ावा दे रहा है। प्रतिरोध के एक साधन से नवाचार के एक प्रकाश स्तंभ तक की यात्रा, हथकरघा के कालातीत महत्व को दर्शाती है, जो आने वाले युगों में एक शाश्वत छाप छोड़ती है। विरासत, नवाचार और सामूहिक प्रयास को एक साथ बुनकर, भारत का हथकरघा क्षेत्र दुनिया को प्रेरित करने और देश में लाखों लोगों को सशक्त बनाने के लिए तैयार है। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने परिकल्पना की है, ₹आइए हम हथकरघा को अपने दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएँ और अपने पारंपरिक हथकरघा उत्पादों को वह दर्जा दें, जिसके वे हकदार हैं।₹

# भारतीय हथकरघा के लिए नवाचार और स्थायित्व के साथ भविष्य बुनना

हथकरघा क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है, जो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और 3.5 मिलियन से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करता है। स्थानीय बुनकरों द्वारा नैतिक रूप से निर्मित हथकरघा और दस्तकारी वस्त्र, बड़े पैमाने पर उत्पादित फास्ट फैशन का एक सार्थक विकल्प प्रस्तुत करते हैं। ऐसा करके, वे भारत की समृद्ध विरासत को आधुनिक विश्व के लिए एक व्यापक स्थिरता की कहानी में शामिल करते हैं।

**राष्ट्रीय हथकरघा दिवस**

टिकाऊ वस्त्र इको-सिस्टम के निर्माण के लिए ग्रामीण हथकरघा और हस्तशिल्प क्लस्टरों को सहायता देना महत्वपूर्ण है। ये क्लस्टर भारतीय शिल्पकला की उन जीवंत परम्पराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें परिवारों और समुदायों द्वारा पीढ़ियों से कायम रखा गया है। निजी क्षेत्र और सामाजिक उद्यमों ने इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने में सराहनीय भूमिका निभाई है। उनका कार्य पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों के साथ नवाचार, स्थानीय स्रोत, रि-साईकिलिंग और अप-साईकिलिंग, तथा पारंपरिक प्रथाओं के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने तक फैला हुआ है। ये प्रयास सहयोग के माध्यम से कारीगर समुदायों को सशक्त बनाने, शिल्पकारों और डिजाइनरों के बीच साझेदारी बनाने,

लोगों की अपनी, लोगों के लिए चलाई जाने वाली एक क्रांति है। इस योजना का मूलमंत्र है- "खेत का पानी खेत में और गाँव का पानी गाँव में"। इसके तहत हम सब मिलकर खेतों की मेड़ें मजबूत करते हैं, खेत में ही छोटे तालाब बनाते हैं, और छोटे-छोटे नालों पर चेक डैम जैसी जल-संरचनाएं खड़ी करते हैं। इससे बारिश का पानी बहकर बेकार नहीं जाता, बल्कि धीरे-धीरे धरती की प्यास बुझाता है, जिससे भूजल का स्तर बढ़ता है और मिट्टी में लंबे समय तक नमी बनी रहती है। इस योजना की सबसे बड़ी शक्ति इसकी जन-भागीदारी है। गाँव के लोग खुद बैठकर यह तय करते हैं कि तालाब कहाँ खोदना है, मेड़ कहाँ बनानी है और पेड़ कहाँ लगाने हैं। भूमिहीन परिवारों और महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को भी मुर्गीपालन और मधुमक्खी पालन जैसे कामों से जोड़कर उनकी आमदनी बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इस योजना के बहुत सुखद परिणाम मिल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ हमारे किसान भाई-बहनों को मिला है, जिनकी आमदनी में 8% से लेकर 70% तक की ठोस वृद्धि हुई है। यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि 2015 से अब तक, सरकार ने 20,000 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च करके देशभर में 6,382 से अधिक परियोजनाएं चलाई हैं और लगभग 3 करोड़ हेक्टेयर भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने का काम किया है।

मध्य प्रदेश के झाबुआ में, जहाँ कभी सूखा एक बड़ी समस्या थी, आज आदिवासी गाँवों में पानी भरपूर है और मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी बढ़ गई है। परियोजना क्षेत्र के 22 गाँवों में भूजल स्तर एक मीटर तक बढ़ गया है। इससे खेती में भी परिवर्तन आया है। यहीं के किसान भाई बताते हैं कि गाँव में चेकडैम बनने से अब वे मक्के के साथ-साथ चने की फसल भी ले रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी 50,000 से 60,000 तक बढ़ गई है। साथ ही झाबुआ की ही परवलिया पंचायत में 12 खेतों में बने खेत तालाबों से किसानों की आमदनी 1 लाख से 1.5 लाख प्रति हेक्टेयर तक बढ़ी है।

इस योजना के तहत 9 लाख से ज्यादा चेक डैम, रिसाव तालाब, खेत तालाब, जैसी वाटरशेड संरचनाएँ बनी हैं। 5.6 करोड़ से ज्यादा श्रम दिवस उपलब्ध हुए हैं, जिससे ग्रामीण रोज़गार में वृद्धि हुई है। वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लागू होने से गाँवों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। जहाँ पहले पानी की कमी थी, उन परियोजना क्षेत्र में अब 1.5 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा नए इलाक़े में जल स्रोत फैले हैं, यानी 16% का इज़ाफा हुआ है। साथ ही अब किसान पारंपरिक फसलों के अलावा फलों और अन्य पेड़-पौधों की खेती भी करने लगे हैं, जिससे बागवानी और पेड़-पौधों की खेती का दायरा 12% बढ़कर 1.9 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है।

राजस्थान के बाड़मेर जैसे रेगिस्तानी इलाके में, जहाँ पानी की कमी किसानों को पलायन पर मजबूर कर रही थी, आज अनार की खेती से हरियाली लौट आई है। योजना के अंतर्गत 120 से अधिक किसानों को अनार के पौधे उपलब्ध कराए गए, जो वहाँ की बालू मिट्टी और सीमित पानी जैसी कठिन परिस्थितियों में भी आसानी से पनप जाते हैं। अनार की खेती ने न केवल आमदनी बढ़ाई, बल्कि बूड़ीवाड़ा गांव के मांगीलाल परांगी का कहना है कि उनके जैसे किसान अब अरंडी छोड़कर बागवानी की ओर बढ़ गए हैं। त्रिपुरा के दाशी रियांग और बिमन रियांग जैसे किसान योजना की मदद से अनानास की बागवानी करके अपनी बंजर भूमि को फिर से उपजाऊ बना रहे हैं और अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं।

इस पूरी क्रांति को जन-जन तक पहुँचाने और इसे एक जन-आंदोलन बनाने के लिए हमने 'वॉटरशेड यात्रा' भी निकाली। इस यात्रा के माध्यम से हमने देशभर में जल संरक्षण और भूमि संवर्धन के लिए एक जनजागरण अभियान चलाया। हमने इस योजना में तकनीक का भी भरपूर उपयोग किया है। 'भुवन जियोपोर्टल (सृष्टि)' और 'दृष्टि' मोबाइल ऐप जैसे डिजिटल उपकरणों से योजनाओं की प्रगति की सटीक निगरानी हो रही है। किसानों की मेहनत और हमारी योजनाओं की वजह से, देशभर के फसल क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। सैटेलाइट से मिले आँकड़े बताते हैं कि फसल क्षेत्र में लगभग 10 लाख हेक्टेयर (5% की वृद्धि) और जल स्रोतों के क्षेत्र में 1.5 लाख हेक्टेयर (16% की वृद्धि) का इजाफा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि 8.4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा बंजर जमीन अब फिर से खेती के योग्य बन चुकी है।

प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज अमृतकाल में हम सब मिलकर भूमि संरक्षण की एक नई गाथा लिख रहे हैं। यह सिर्फ आँकड़े नहीं हैं, यह हमारे किसानों की मेहनत और उनके बेहतर भविष्य की जीती-जागती कहानी है। जब हम पानी और मिट्टी को बचाएंगे, तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित कर पाएंगे। इस संकल्प को मिलकर पूरा करें और किसानों को समृद्ध तथा भारत को विकसित बनाएं।

प्रधानमंत्री मोदी जी का मानना है कि केवल सरकार नहीं, समाज की भागीदारी से ही यह अभियान सफल होगा। उसी सोच के तहत 'वॉटरशेड यात्रा' जैसी पहल से इस योजना को जन-जन तक पहुँचाया गया है और यह एक जनांदोलन बन चुका है। यह भारतीय किसानों की मेहनत और बदलते भविष्य की कहानी है। जब जल और मिट्टी सुरक्षित होंगी, तभी भारत सुरक्षित रहेगा। 2047 तक विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब गाँवों की धरती समृद्ध होगी और किसान खुशहाल होंगे। आइए, मिलकर जल और माटी के इस रक्षा संकल्प को आगे बढ़ाएं।

(लेखक केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री है)

# वॉटरशेड : साकार होता विकसित भारत का सपना

शिवराज सिंह चौहान

जल ही जीवन है और मिट्टी हमारा अस्तित्व, हमारा आधार है। जल और मिट्टी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज जब पर्यावरण संकट गहराता जा रहा है, कुएं सूख रहे हैं, नदियों की धाराएं कमजोर हो रही हैं और भूजल पाताल में समा रहा है, तब यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जल और मिट्टी की रक्षा करें। जब हमारे खेत हरे-भरे होंगे और किसान खुशहाल होंगे, तभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत-2047 के संकल्प को साकार किया जा सकेगा, क्योंकि इस संकल्प का रास्ता हमारे गांवों की पगडंडियों, उपजाऊ मिट्टी और लहलहाती फसलों से होकर ही गुजरता है।

आज बिगड़ते पर्यावरण के कई जगहों पर भूजल का स्तर हजार-डेढ़ हजार फीट नीचे चला गया है। अगर हमारी उपजाऊ मिट्टी इसी तरह बहती रही और जमीन बंजर होती रही, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कैसा होगा? इसी दूरदर्शी सोच और भविष्य की चिंता को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने एक बीड़ा उठाया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने हमेशा दूरदृष्टि से काम किया है। वे सिर्फ आज की नहीं, आने वाले 50-100 वर्षों की सोचते हैं। उनके नेतृत्व में भारत सरकार का भूमि संसाधन विभाग, 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' के तहत 'वॉटरशेड विकास घटक (WDC-PMKSY)' को पूरे देश में लागू कर रहा है। लेकिन यह काम अकेले सरकार नहीं कर सकती। इस महायज्ञ में सरकार के साथ समाज को भी खड़ा होना पड़ेगा। यह धरती को बचाने का अभियान है। पानी, माटी, धरती बचेगी तो भविष्य बचेगा। यह योजना विशेष रूप से उन क्षेत्रों में लागू की जा रही है जो सूखे और वर्षा पर निर्भर हैं और इन इलाकों में बसे हमारे किसान भाई-बहनों के जीवन में समृद्धि लाने का एक महाभियान है, जहाँ कभी पानी की एक-एक बूंद के लिए संघर्ष करना पड़ता था।

कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आखिर यह वाटरशेड योजना है क्या? मैं उन्हें सरल भाषा में बताता हूँ कि यह केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि



उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने और कारीगरों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। जापान के ओसाका में आयोजित विश्व एक्सपो 2025 और अमेरिका के सांता फे में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोक कला बाजार जैसे प्रतिष्ठित मंचों पर भारतीय शिल्पकारों की हालिया भागीदारी उनकी अनुकूलनशीलता और वैश्विक अपील को दर्शाती है।

भारत सरकार अनेक योजनाओं और पहलों के माध्यम से वस्त्र पारिस्थितिकी तंत्र (टेक्सटाइल इको-सिस्टम) का समर्थन करती है। इनमें कच्चे माल की खरीद, करघों और सहायक उपकरणों आदि की खरीद के लिए वित्तीय सहायता, महिला सशक्तिकरण के लिए प्रोत्साहन, कौशल विकास कार्यक्रम तथा पारंपरिक हथकरघों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु मार्केटिंग प्रयास शामिल हैं। पर्यावरण-अनुकूल और सर्कुलर प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने, जैविक कच्चे माल तक पहुँच में सुधार लाने और नैतिक प्रथाओं के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने पर भी ज़ोर दिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 'वोकल फॉर लोकल' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी पहलों ने हथकरघा बुनकरों के लिए अवसरों का काफी विस्तार किया है। 'कौशल भारत' और 'डिजिटल भारत' जैसे अन्य कार्यक्रम कारीगरों को अपने कौशल को अपग्रेड करने और अपने कार्यस्थलों से सीधे बड़े बाजारों तक पहुंचने में सक्षम बना रहे हैं।

इस क्षेत्र के विकास को बनाए रखने के लिए हथकरघा परंपराओं का दस्तावेजीकरण और संरक्षण भी समान रूप से आवश्यक है। वस्त्र मंत्रालय के नेतृत्व में डिजिटल संग्रह, भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष, पारंपरिक और समकालीन ज्ञान दोनों को संग्रहित करके इस उद्देश्य की पूर्ति करता है। यह मंच अनुसंधान डेटा, डिजाइनर और कारीगर प्रोफाइल, एक वर्चुअल संग्रहालय और डिजिटल प्रदर्शनियां उपलब्ध कराता है, जिससे यह विद्वानों, शिक्षार्थियों और शिल्प उत्साही लोगों के लिए एक मूल्यवान संसाधन बन जाता है।

हथकरघा क्षेत्र को अधिक लक्ष्य-उन्मुख और लाभदायक बनाने के लिए व्यवसाय-केंद्रित रणनीति आवश्यक है। को-ऑप्टेक्स, बोयानिका अथवा टाटा ट्रस्ट द्वारा अन्तरान जैसे हथकरघा मार्केटिंग संगठनों की केस स्टडी से पता चलता है कि व्यवस्थित योजना, चाहे वह समितियों, सहकारी समितियों के प्रोत्साहन के माध्यम से हो अथवा गैर-लाभकारी संस्थाओं के साथ सहयोग के माध्यम से हो, हथकरघा बुनकरों की आय और आजीविका में महत्वपूर्ण सुधार ला सकती है।

इसे हासिल करने के कई तरीके हैं। पारंपरिक और आधुनिक, दोनों बाज़ारों के लिए नए डिज़ाइन विकसित करने के साथ-साथ पारंपरिक डिज़ाइनों को पुनर्जीवित करना, खासकर थीम-आधारित प्रदर्शनियों के ज़रिए, ग्राहकों को शिक्षित करने और माँग बढ़ाने में मदद कर सकता है। अंगवस्त्रम, वेष्टी और मुंडु जैसे उत्पादों को भी प्रासंगिक बने रहने के लिए विचारशील डिजाइन नवाचार की आवश्यकता होती है। वर्तमान आंकड़ों से पता चलता है कि केवल 22% हथकरघा बुनकर साड़ियां बनाते हैं और 19% अंगवस्त्रम और इसी तरह के उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे 59% ऐसे बुनकर बचते हैं जिन्हें घरेलू साज-सज्जा और वस्त्र सामग्री की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित और सक्रिय किया जा सकता है। आधुनिक रुचियों के अनुरूप ढलते हुए, भारतीय हथकरघा को परिभाषित करने वाले अद्वितीय क्षेत्रीय कौशल और तकनीकों को संरक्षित करना महत्वपूर्ण है। जैविक फाइबर, प्राकृतिक रंगों और टिकाऊ सामग्रियों के उपयोग से हथकरघा उत्पादों का मूल्य और आकर्षण और अधिक बढ़ सकता है।

वस्त्र मंत्रालय संत कबीर और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार जैसे पुरस्कारों के माध्यम से बुनकरों के योगदान को सक्रिय रूप से मान्यता प्रदान कर रहा है और उन्हें पुरस्कृत कर रहा है। हाल के वर्षों में, नई श्रेणियां शुरू की गई हैं, जैसे कि महिला बुनकरों, जनजातीय कारीगरों, दिव्यांग बुनकरों, नवोन्मेषी उत्पादक समूहों और हथकरघा के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने वाले डिजाइनरों के लिए पुरस्कार। इसमें एक उल्लेखनीय बात यह है कि युवाओं को युवा बुनकर पुरस्कार भी दिया जाता है, जोकि 30 वर्ष से कम आयु के ऐसे कारीगरों को दिया जाता है, जिन्होंने पारंपरिक तकनीकों में निपुणता प्राप्त कर ली है तथा नवाचार अथवा उद्यमिता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हैं। ये पुरस्कार न केवल प्रतिष्ठित हैं बल्कि पारदर्शी और लोकतांत्रिक भी हैं, तथा इनके साथ नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र भी दिए जाते हैं। संत कबीर, राष्ट्रीय एवं राज्य पुरस्कार विजेताओं को आजीवन 8,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। इसका उद्देश्य हथकरघा के क्षेत्र में नवाचार, विशेष रूप से ऐसी तकनीकों और सौंदर्यबोध को बढ़ावा देना है, जिनकी मशीनों अथवा पावरलूमों द्वारा नकल नहीं की जा सकती है।

भारतीय हथकरघा उद्योग का स्थायित्व बनाए रखने के लिए परंपरा और नवाचार दोनों को अपनाने की आवश्यकता है। भारत कपास, रेशम, ऊन, जूट और नारियल के रेशों जैसे प्राकृतिक फाइबर से समृद्ध है, और यहाँ बाँस, केले के फाइबर, हेम्प और मिल्कवीड जैसी नई सामग्रियों की खोज तेज़ी से हो रही है। कृषि अपशिष्ट की एक बड़ी मात्रा भी अभी तक पूरी तरह से उपयोग में नहीं आ पाई है। इस प्रचुरता के बावजूद, वास्तव में टिकाऊ उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर यार्न और वस्त्र प्रसंस्करण को मजबूत करने की अभी भी आवश्यकता है।

वस्त्र क्षेत्र में उद्यमों के सर्कुलर उत्पादन में तेजी आ रही है। वर्तमान समय में भारत की गहन भौतिक संस्कृति के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, यह केवल यार्न और फैब्रिक में ही नहीं, बल्कि परिधानों के सहायक उपकरणों में भी बढ रही है, जिनका पर्यावरणीय प्रभाव के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है। बचे हुए कपड़ों और धागों का उपयोग करके बनाए गए पुनर्चक्रित संग्रह लोकप्रिय हो रहे हैं, जो पारंपरिक, टिकाऊ प्रथाओं के पुनरुद्धार में योगदान दे रहे हैं। यह आंदोलन पर्यावरण के प्रति जागरूक फैशन की ओर एक व्यापक वैश्विक बदलाव को दर्शाता है।

आज, तेज़ी से बढ़ते शहरी प्रवास और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे के साथ, पारंपरिक बुनकर की अपने करघे पर भूमिका प्रतीकात्मक से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है, अब यह हरित तकनीक और सांस्कृतिक संरक्षण का एक सशक्त उदाहरण बन गई है। भारत की हथकरघा विरासत एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करती है जो पर्यावरण और शिल्प से जुड़े लोगों का सम्मान करती है और देश को ज़िम्मेदार एवं नैतिक फ़ैशन के क्षेत्र में अग्रणी बनाती है।

# पीएम-किसानः किसानों के सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के रूपांतरण का भारत का वैश्विक खाका

समावेशी विकास और ग्रामीण समृद्धि के सफर में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना, भारत सरकार की एक अग्रणी पहल के रूप में उभर कर सामने आई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई, इस पहल ने लाखों छोटे एवं सीमांत किसानों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है और पूरी तरह से डिजिटल, कुशल एवं पारदर्शी प्रणाली के जरिए प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करने के एक वैश्विक मॉडल के रूप में खुद को स्थापित किया है।

प्रत्यक्ष समर्थन के जरिए किसानों का सशक्तिकरण

मूल रूप से, पीएम-किसान योजना पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सहायता प्रदान करती है। यह सहायता राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के जरिए 2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाती है। इस सुव्यवस्थित एवं तकनीक-संचालित कदम से बिचौलियों की भूमिका, लाभ मिलने में होने वाली देरी और त्रुटि की गुंजाइश खत्म होती है और एक-एक पाई इच्छित लाभार्थी तक पहुंचना सुनिश्चित होता है। इस योजना की शुरुआत से लेकर अब-तक, कुल 3.69 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों को हस्तांतरित की जा चुकी है। इस प्रकार, पीएम-किसान दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल रूप से क्रियान्वित नकद हस्तांतरण कार्यक्रमों में से एक बन गया है। आंकड़ों से परे, यह कदम सब्सिडी से हटकर सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ने संबंधी एक बदलाव का प्रतीक है। बात चाहे बीज की हो या उपकरण या शिक्षा या फिर स्वास्थ्य की, इस योजना से किसानों को यह तय करने की आजादी मिलती है कि वे इस सहायता का सबसे बेहतर इस्तेमाल कैसे करें।

भारत के छोटे किसानों के हित में एक परिवर्तनकारी कदम

दो हेक्टेयर से कम जमीन वाले भारत के 85 प्रतिशत से अधिक किसानों के लिए ये लाभ बुवाई या कटाई के मौसम में एक अहम आर्थिक सेतु का काम करते हैं। ये लाभ अल्पकालिक नकदी प्रवाह के तनाव को कम करते हैं, अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता में कमी लाते हैं और संकट के समय एक सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं।

वित्तीय सहायता से कहीं बढ़कर, पीएम-किसान योजना समावेशिता, सम्मान और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में एक भागीदार के रूप में किसान की मान्यता का प्रतीक है।



हैं। 31 जुलाई 2025 तक, 17 उच्च-व्यापकता वाले राज्यों के 300 से अधिक जिलों में 6.07 करोड़ से अधिक व्यक्तियों की जांच की जा चुकी है। जांच किए गए व्यक्तियों में से 2.16 लाख रोगग्रस्त पाए गए, जबकि 16.92 लाख को वाहक के रूप में पहचाना गया। विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि 95% मामले केवल पाँच राज्यों—ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र—में केंद्रित हैं।

छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के नवापारा की एक युवा आदिवासी लड़की मीना की कहानी इस मिशन के सकारात्मक प्रभाव का प्रतीक है। जांच अभियान के दौरान नैदानिक परीक्षण किए जाने पर, मीना को निकट के एक उप-स्वास्थ्य केंद्र में नामांकित किया गया। प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ), एएनएम और आशा कार्यकर्ता ने यह सुनिश्चित किया कि उसे निःशुल्क हाइड्रोक्सीयूरिया औषधि समय पर मिलती रहे, जिससे सिकल सेल रोग के लक्षणों में उल्लेखनीय कमी आई। आज, मीना पहले से कहीं अधिक स्वस्थ है और अपने समुदाय में आनुवंशिक रोगों के परामर्श में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है।

स्क्रीनिंग प्रयासों में तेज़ी लाने के लिए, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा अनुमोदित पॉइंट-ऑफ-केयर (PoC) डायग्नोस्टिक उपकरणों को लगाया गया है। शुरुआत में इनकी संख्या केवल तीन तक सीमित थी, जो अब बढ़कर 30 से अधिक हो गई है। इससे प्रति किट लागत 100 से घटकर 28 हो गई है। इस पहल ने SCD के लिए लागत-प्रभावी और कुशल डायग्नोस्टिक क्षमताएँ सुनिश्चित की हैं।

इस मिशन का कार्यान्वयन केवल स्क्रीनिंग पर केंद्रित नहीं है; यह एससीडी से पीड़ित व्यक्तियों की समग्र देखभाल को भी प्राथमिकता देता है। मिशन के अंतर्गत प्रबंधन हस्तक्षेपों में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ, आवश्यक दवाओं और निदान तक पहुँच शामिल है। सिकल सेल रोग के प्रबंधन के लिए एक प्रमुख दवा, हाइड्रॉक्सीयूरिया, को राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची (ईडीएल) में शामिल किया गया है और अब यह आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप-स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है, जिससे अंतिम व्यक्ति तक इसकी पहुँच सुनिश्चित होती है।

यह मिशन सिकल सेल रोग के उन्मूलन की प्रमुख रणनीतियों के रूप में आनुवंशिक परामर्श और जन जागरूकता पर भी ज़ोर देता है। अब तक 2.62 करोड़ से अधिक आनुवंशिक स्टेटस कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को उपयोगी स्वास्थ्य जानकारी प्राप्त हुई है। ये कार्ड परामर्श और उचित निर्णय लेने का एक प्रभावी माध्यम बन गए हैं, जो परिवारों को ऐसे विकल्प चुनने में मदद करते हैं जिनसे आनुवंशिक संचरण का जोखिम कम हो सकता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और जनजातीय कार्य मंत्रालय से प्राप्त वित्तीय सहायता के आधार पर, पंद्रह स्वास्थ्य परिचर्या संस्थानों/मेडिकल कॉलेजों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए चुना गया है। ये संस्थान प्रसवपूर्व निदान और गंभीर सिकल सेल रोग जटिलताओं के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे जोखिम वाले परिवारों को विशेष परिचर्या सुनिश्चित की जाती है। इसके अतिरिक्त, अक्टूबर 2024 में आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को सिकल सेल रोग प्रबंधन की जटिलताओं का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान किए गए हैं।

मिशन की सफलता ₹Whole-of-Government₹ के दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसके तहत स्वास्थ्य मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भी शामिल किया गया है। यह अंतर-मंत्रालयी समन्वय जनजातीय स्वास्थ्य के सामाजिक-सांस्कृतिक और भौगोलिक आयामों का समाधान करते हुए समग्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा समर्थित अनुसंधान-आधारित गतिविधियों ने इस मिशन की लागत-प्रभावशीलता और रोगी परिणामों में उल्लेखनीय सुधार किया है।

हालांकि इस मिशन की अब तक की उपलब्धियाँ बेहद सराहनीय हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय अब मिशन की दीर्घकालिक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। अब मिशन का तात्कालिक ध्यान आनुवंशिक परामर्श, जन जागरूकता अभियानों और आनुवंशिक स्टेटस कार्डों के वितरण के विस्तार पर होगा। सामुदायिक स्तर के मंचों का प्रभावी उपयोग यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होगा कि प्रत्येक वाहक और रोगग्रस्त व्यक्ति को आवश्यक परिचर्या और सहायता प्राप्त हो। उन्नत अनुसंधान प्रयास मिशन की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी एवं सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होंगे।

इस मिशन की असली भावना इसके आदर्श ₹हमारे संघर्षकर्ताओं को साथ, हमारे उत्तरजीवियों को संबल, और हमारे योद्धाओं को समर्थन₹ में निहित है। राजनीतिक इच्छाशक्ति, वैज्ञानिक नवाचार और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के संयोजन से भारत सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करने और लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए तत्पर है।

जैसे-जैसे भारत वर्ष 2047 तक सिकल सेल रोग उन्मूलन के अपने लक्ष्य की ओर आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन इसमें आशा की किरण बनकर उभरा है। यह इस बात का द्योतक है कि जब सरकार, स्वास्थ्य सेवा पेशेवर और समुदाय समान हित के लिए एकजुट होते हैं, तो क्या कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को इस रोग के कारण होने वाले दर्द और पीड़ा को न सहना पड़े।

सिकल सेल एनीमिया के विरुद्ध भारत की लड़ाई सिर्फ़ एक आनुवंशिक रोग से लड़ने तक सीमित नहीं है—यह हाशिए पर रहने वाले हमारे देश के समूहों के लिए समानता, सम्मान और स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता है। मीना जैसी महिलाओं के अनुभवी मार्गदर्शन में, यह मिशन लक्षित स्वास्थ्य सेवा पहलों की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है, जो जनजातीय स्वास्थ्य चुनौतियों के समाधान में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

आइए, इस अभूतपूर्व प्रयास का जश्न मनाएं और एक स्वस्थ, अधिक समावेशी भारत के निर्माण के अपने संकल्प को दोहराएं।

# राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन

भारत के आदिवासी समुदाय, जो कि कुल जनसंख्या का 8.6% हैं, राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के मूल तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी, इन समुदायों के कई व्यक्ति जानकारी के अभाव में सिकल सेल नामक अनुवांशिक बीमारी से जूझ रहे हैं। दशकों से इस बीमारी ने उनके स्वास्थ्य के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक विकास पर भी गहरा असर डाला है, और यह बीमारी भौगोलिक अलगाव एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच के कारण और भी जटिल हो गई है। इस गंभीर आवश्यकता को पहचानते हुए, भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में जुलाई 2023 में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की। इस मौलिक पहल का उद्देश्य न केवल सिकल सेल के आनुवांशिक संचरण का उन्मूलन करना है, बल्कि इस रोग से प्रभावित लाखों लोगों के सम्मान और स्वास्थ्य को भी बहाल करना है।

सिकल सेल रोग में लाल रक्त कोशिकाओं का आकार बदल जाता है, जिससे उनकी ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता कम हो जाती है और धीरे-धीरे गंभीर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं उत्पन्न होने लगती हैं। आदिवासी जनसंख्या के बीच इसका प्रभाव विशेष रूप से गहरा है, क्योंकि वे इस आनुवंशिक बीमारी से असमान रूप से प्रभावित होते हैं। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज एस्टिमेट्स (2021) रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रति वर्ष अनुमानित 82,500 बच्चों का जन्म सिकल सेल रोग के साथ होता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने इस संकट से निपटने के लिए आधार तैयार किया और इसकी विशिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताओं पर ज़ोर इसी के आधार पर, केंद्रीय बजट 2023 में NSCAEM की घोषणा की गई, जिसमें वित्त वर्ष 2025-2026 तक 40 वर्ष से कम आयु के 7 करोड़ व्यक्तियों की मिशन मोड में जाँच करने का लक्ष्य रखा गया। कार्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत क्रियान्वित किया गया, जिससे यह विश्व स्तर पर सबसे बड़े जनसंख्या-आधारित आनुवंशिक जाँच कार्यक्रमों में से एक बन गया है। इस मिशन का उद्देश्य 2047 तक SCD के आनुवंशिक संचरण को समाप्त करना और पहले से ही इससे पीड़ित लोगों को व्यापक देखभाल प्रदान करना भी है।

पहले दो वर्षों में, स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्यों के संयुक्त प्रयासों से इस मिशन के अंतर्गत उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त हुए



डिजिटल शासन की श्रेष्ठता

पीएम-किसान की सफलता का श्रेय भारत के मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे को जाता है। जेएएम की तिकड़ी - जन धन बैंक खाते, आधार बायोमेट्रिक पहचान और मोबाइल कनेक्टिविटी - ने बड़े पैमाने पर लाभ के निर्बाध वितरण को संभव बनाया है। स्व-पंजीकरण से लेकर भूमि स्वामित्व के सत्यापन और डीबीटी द्वारा समर्थ भुगतान तक, इस पूरी योजना का जीवनचक्र डिजिटल है।

राज्य सरकारों के सहयोग से, पीएम-किसान डिजिटल रूप से समन्वित तथा एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से पहुंचने वाले शासन के एक बेहतरीन मॉडल के रूप में कार्य करता है। इसने विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों, लाभार्थियों के डेटाबेस और भुगतान प्रणालियों को सफलतापूर्वक समन्वित किया है और इससे दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में किसान-केन्द्रित एक उत्तम संरचना का निर्माण हुआ है।

पीएम किसान ने कृषि से जुड़े इकोसिस्टम में किसान ई-मित्र वॉयस-आधारित चैटबॉट और एग्री स्टैक जैसी नवीन परियोजनाओं को भी प्रेरित किया है। एग्रीस्टैक व्यक्तिगत, समय पर और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार है, जिससे भारतीय कृषि भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार हो सके।

वैश्विक मानकों की स्थापना

दुनिया भर में, प्रत्यक्ष लाभ कार्यक्रमों को गरीबी उन्मूलन के कारगर साधनों के रूप में तेजी से मान्यता मिल रही है। फिर भी, पीएम-किसान की कुछ अनूठी विशेषताएं हैं — इसका विशाल आकार, गति और डिजिटल विश्वसनीयता इसे बिखरी हुई कृषि सहायता प्रणालियों में सुधार के लिए प्रयासरत देशों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बनाती है।

आईएफपीआरआई, एफएओ, आईसीएआर और आईसीआरआईएसएटी जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने छोटे किसानों की आय बढ़ाने, ऋण की सुलभता में सुधार, असमानता को कम करने और आधुनिक कार्यप्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में पीएम किसान की भूमिका पर प्रकाश डाला है। कई देशों में जारी सशर्त हस्तांतरण के उलट, इसका विश्वास-आधारित व बिना शर्त वाला दृष्टिकोण, सहभागी एवं सम्मान-आधारित कल्याणकारी वितरण की दिशा में एक बड़ी छलांग है।

ग्रामीण विकास को गति देना

पीएम-किसान का सकारात्मक प्रभाव केवल व्यक्तिगत लाभार्थियों तक ही सीमित नहीं है। इसके तहत होने वाले अनुमानित नकदी प्रवाह ने ग्रामीण बाजारों को पुनर्जीवित किया है, कृषि-



उत्पादों की मांग को प्रोत्साहित किया है और घरेलू उपभोग के पैटर्न को मजबूत किया है। इसने महिलाओं को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर उन मामलों में जहां बैंक खाते संयुक्त रूप से खोले जाते हैं।

इसके अलावा, यह एक समग्र और परस्पर संबद्ध ग्रामीण विकास इकोसिस्टम का निर्माण करके मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम फसल बीमा योजना और ई-नाम जैसी अन्य प्रमुख योजनाओं का पूरक है। किसानों के लिए एक पेंशन योजना, पीएम-किसान मानधन योजना के साथ इसका एकीकरण, भारत के कृषि कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।

सुनहरे भविष्य का एक दृष्टिकोणः दृढ़ता, समानता और स्थिरता

पीएम-किसान एक वित्तीय सहायता तंत्र से कहीं बढ़कर है। यह भारत सरकार के किसानों के नेतृत्व वाले विकास का एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। अधिकार से सशक्तिकरण की ओर, सहायता से स्वायत्तता की ओर स्थानांतरित होकर, यह राज्य और किसान के बीच अनुबंध को नए सिरे से परिभाषित करता है।

भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रखता है, ऐसे में पीएम-किसान जैसी पहल समावेशी प्रगति की नींव रखती है। उन्नत तकनीकों के निरंतर एकीकरण और जलवायु परिवर्तन के प्रति दृढ़ता, स्थिरता और सटीक कृषि पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, यह योजना बदलाव की दिशा में एक बेहद शक्तिशाली कदम के रूप में विकसित होने के लिए तैयार है।

पीएम-किसान विश्वास, तकनीक और परिवर्तन की कहानी है। यह दुनिया के लिए भारत का योगदान है। यह योजना एक जीवंत उदाहरण है कि कैसे एक दूरदर्शी नीति, डिजिटल नवाचार और राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ मिलकर, लाखों लोगों को सशक्त बना सकती है और 21वीं सदी के शासन को नए सिरे से परिभाषित कर सकती है।

» डॉ. प्रमोद मेहरदा, अतिरिक्त सचिव एवं अरिंदम मोदक, सलाहकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

# बहुभाषी, समावेशी शिक्षा अब व्यापक स्तर पर साकार

➲ धर्मेंद्र प्रधान

2020 में भारत ने केवल एक नई नीति नहीं अपनाई, बल्कि एक प्राचीन आदर्श को फिर से जीवंत किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) ने सीखने को राष्ट्र निर्माण का आधार बनाया और इसे हमारी सभ्यतागत परंपराओं से जोड़ा। स्वर्गीय डॉ. के. कस्तूरीरंगन जी के नेतृत्व में तैयार की गई यह नीति इतिहास की सबसे व्यापक जन-सहभागिता वाली नीति-निर्माण प्रक्रिया में से एक थी। यह एक ऐसा दूरदर्शी रूपरेखा थी जो सांस्कृतिक मूल्यों में निहित था। यह एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की कल्पना थी जो रटने की प्रवृत्ति, कठोर ढाँचों और भाषाई ऊँच-नीच से परे हो—समावेशी, सर्वांगीण और भविष्य के लिए तैयार।

पाँच वर्षों में NEP का असर केवल नीतियों तक नहीं, बल्कि कक्षाओं तक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब प्राथमिक कक्षाओं में खेल आधारित शिक्षण, रटने की पद्धति की जगह ले चुका है; बच्चे अपनी मातृभाषा में सहजता से पढ़ रहे हैं; छठी कक्षा के विद्यार्थी व्यावसायिक प्रयोगशालाओं में हाथों-हाथ कौशल सीख रहे हैं। अनुसंधान संस्थानों में भारत का पारंपरिक ज्ञान आधुनिक विज्ञान के साथ संवाद कर रहा है। NEP की सोच STEM क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और वैश्विक मंचों पर भारतीय संस्थानों की उपस्थिति में भी झलकती है।

निपुण भारत मिशन (NIPUN Bharat Mission) ने बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को कक्षा 2 तक सुनिश्चित किया है। ASER 2024 और परख (PARAKH) राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 जैसी रिपोर्टों में यह प्रगति परिलक्षित होती है—आज की कक्षाएं जिज्ञासा और समझ का केंद्र बन चुकी हैं। विद्या प्रवेश और बालवाटिका जैसी पहलें अब प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा को व्यवस्थित रूप से एकीकृत कर रही हैं। 22 भारतीय भाषाओं में जादुई पिटारा और ई-जादुई पिटारा, नई पीढ़ी की पाठ्यपुस्तकों के साथ, शिक्षा को रुचिकर बना रहे हैं। NISHTHA प्रशिक्षण के माध्यम से 14 लाख से अधिक शिक्षक प्रशिक्षित हो चुके हैं और DIKSHA जैसे प्लेटफॉर्म शिक्षण सामग्री को देशभर में सुलभ बना रहे हैं।

NEP ने यह स्पष्ट किया कि भाषा कोई बाधा नहीं, बल्कि सशक्तिकरण का माध्यम है। 117 भाषाओं में प्राइमर विकसित किए गए हैं और भारतीय सांकेतिक भाषा को एक विषय के रूप में शामिल किया गया है। भारतीय भाषा पुस्तक योजना और राष्ट्रीय डिजिटल भंडार (National Digital Depository) for Indian Knowledge Systems जैसी योजनाएं भाषाई और सांस्कृतिक ज्ञान को लोकतांत्रिक बना रही हैं।

National Curriculum Framework (NCF) और कक्षा 1 से 8 की नई किताबें अब जारी हो चुकी हैं। प्रेरणा (PRERNA) एक सेतु



संसदीय स्तर पर बरते गए इस जल्दबाजी भरे व्यवहार ने लोकतांत्रिक निगरानी, पारदर्शिता और तत्कालीन नेतृत्व की दुर्भावनापूर्ण मंशा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।

इस सीमित संसदीय पड़ताल के बावजूद, सिंधु जल संधि को भारतीय संसद में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस समय एक युवा सांसद थे, ने चेताते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नेहरू का यह तर्क बुनियादी रूप से त्रुटिपूर्ण है कि पाकिस्तान की अनुचित मांगों के आगे झुकने से मित्रता और सद्भावना स्थापित होगी।

संसद में 30 नवंबर 1960 को हुई बहस से पता चलता है कि सभी दलों ने इस संधि की आलोचना की थी। अधिकांश सदस्यों ने सरकार की आलोचना की थी और उस पर पाकिस्तान के सामने झुकने तथा भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था। राजस्थान से कांग्रेस सांसद श्री हरीश चंद्र माथुर, अशोक मेहता, ए.सी. गुहा, कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद केटीके तंगमणि, सरदार इकबाल सिंह, बृजराज सिंह ने इस जल कूटनीति को लेकर स्पष्ट रूप से चिंताएं जाहिर की थी और इसके विफल होने से जुड़े नतीजों के बारे में अंदेशा जताया था। कुल मिलाकर, इस संधि को "एकतरफा, न कि लेन-देन पर आधारित" कहा जा सकता है।

इस संदर्भ में, यह विडंबना ही थी कि लोकसभा में अपने उत्तर के दौरान प्रधानमंत्री नेहरू ने माननीय सांसदों की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाए और उन्हें कमतर भी आंका। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि संसदों द्वारा की गई आलोचना तथ्य और निहित विचारों से अनजान रहने पर आधारित है। उन्होंने (नेहरू) आगे कहा, "मुझे इस बात का दुख है कि इतने महत्वपूर्ण मामले को... एक ऐसा मामला जो न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य से भी जुड़ा है... इतने हल्के में और इतनी लापरवाही एवं संकीर्ण सोच के साथ लिया जा रहा है।"

इस संधि ने भारत के हितों को कुंद कर दिया और यह पाकिस्तान के लिए एक निर्णायक उपलब्धि साबित हुआ। अयूब खान ने एक सार्वजनिक प्रसारण में स्वीकार किया था कि इस संधि की वैधता और गुण-दोष पाकिस्तान के विरुद्ध थे, लेकिन इस मामले में नेहरू की कूटनीतिक विफलता ने पाकिस्तान को बढ़त दिला दी। 4 सितंबर 1960 को रावलपिंडी में अपने प्रसारण में, अयूब खान ने कहा था, "अब जो समाधान हमें मिला है, वह आदर्श नहीं है... लेकिन यह सबसे अच्छा समाधान है जो हमें इन परिस्थितियों में मिल सकता था, इनमें से कई बिंदु, चाहे उनके गुण-दोष और वैधता कुछ भी हों, हमारे खिलाफ हैं।" ये खुलासे आज भी राष्ट्रीय हित को गौण रखने के पीछे के मकसद पर सवाल खड़े करते हैं।

जैसा कि निरंजन डी. गुलाटी ने अपनी किताब "इंडस वाटर ट्रीटीः एन एक्सरसाइज इन इंटरनेशनल मीडिएशन" में लिखा है, 28 फरवरी 1961 को खुद प्रधानमंत्री नेहरू ने इस निराशा को स्वीकार करते हुए कहा थाः "मुझे उम्मीद थी कि यह समझौता अन्य समस्याओं के समाधान का रास्ता खोलेगा, लेकिन हम वहीं खड़े हैं जहां पहले थे।" इस संधि के बाद के घटनाक्रम में आया तीखा अंतर इस समझौते की असमानता को और भी गहराई से रेखांकित करता है। नेहरू की ढिलाई और राष्ट्रीय हित को दरकिनार करने की प्रवृत्ति समय के साथ भारी पड़ती गई। फरवरी 1962 में, 'वाशिंगटन पोस्ट' को दिए एक साक्षात्कार में, प्रधानमंत्री नेहरू ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर को "आगे की दिशा में एक बड़ा कदम और वास्तव में यह समझौता (कश्मीर के) क्षेत्रीय मुद्दों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण..." बताया।

स्पष्ट चेतावनियों के बावजूद, शांति और अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति की चाहत में कांग्रेस नेतृत्व ने भारत की दीर्घकालिक जल सुरक्षा एवं समृद्धि के बजाय कूटनीतिक सुविधावाद को चुना। तुष्टिकरण की यह नीति कई मोर्चों पर राष्ट्रीय प्रगति के लिए हानिकारक साबित हुई। इस संधि से अपेक्षित मनोवैज्ञानिक व भावनात्मक लाभ कभी भी साकार नहीं हुए। इसके उलट, यह युद्धों और निरंतर सीमा-पार तनावों के रूप में दुर्भाग्य लेकर आई। जल-बंटवारे की इस सख्त व्यवस्था ने सूखे से लड़ने, सिंचाई व्यवस्था का विस्तार करने और संवेदनशील इलाकों में कृषि को मजबूत करने हेतु अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने की भारत की क्षमता को सीमित कर दिया। सत्ता-लोलुप शासकों ने आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के प्रति कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं की, जिससे भारत कमजोर हो गया। वास्तव में, यह संधि भारत के लिए जल कूटनीति की विफलता और पाकिस्तान के लिए एक राजनीतिक विजय थी।

अब, मोदी सरकार इस ऐतिहासिक भूल को सुधारने की दिशा में एक और निर्णायक एवं साहसिक कदम उठा रही है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने संप्रभु अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) को तब तक के लिए स्थगित कर दिया है जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अंतिम रूप से सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन देना छोड़ नहीं देता। प्रधानमंत्री मोदी जी का स्पष्ट आह्वान राष्ट्रीय हितों को कमजोर करने वालों के लिए एक कड़ी चेतावनी हैः "आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते; पानी और खून साथ-साथ नहीं बह सकते।" यह कदम पिछली नीतियों से अलग हटकर एक साहसिक और ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है। यह केवल एक कूटनीतिक पुनर्संतुलन भर नहीं है, बल्कि अपने संसाधनों और किसानों के हितों एवं संबंधित हितधारकों की आजीविका के अवसरों की रक्षा करने के भारत के संप्रभु अधिकार का एक दृढ़ रणनीतिक दावा है - जो पाकिस्तान की ओर से आने वाले लगातार सीमा पार खतरों के सामने "राष्ट्र प्रथम" के सिद्धांत को सर्वोपरि रखता है।

सिंधु जल संधि का स्थगन कूटनीति से कहीं आगे जाता है—यह विकासशील भारत@2047 के लक्ष्य को साकार करने के भारत के संकल्प को दर्शाता है। अपने जल संसाधनों पर नियंत्रण फिर से हासिल करके, भारत जलवायु के अनुकूल बुनियादी ढांचे का निर्माण कर सकता है, सिंचाई व्यवस्था को मजबूत कर सकता है और औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे सकता है—जोकि एक विकसित राष्ट्र बनने की कुंजी है। यह निर्णय पुराने समझौतों द्वारा थोपी गई सहमतियों का अंत करता है और जल संप्रभुता को प्रगति की बुनियाद के रूप में स्थापित करता है। यह एक ऐसा साहसिक कदम है, जो आत्मनिर्भरता, स्थिरता और समावेशी विकास के मिशन के साथ गहराई से जुड़ा है। - अर्जुन राम मेघवाल,
केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

# सिंधु की पुकार : संप्रभुता की वापसी और गौरव की बहाली

➲ अर्जुन राम मेघवाल

मानसून शब्द पूरे भारत में खुशी और गर्व का संचार करता है। यह नवाचार, नवीनीकरण और राष्ट्र के आर्थिक इंजन को तत्काल गति प्रदान करने का प्रतीक है। भारत की भौगोलिक स्थिति, प्रचुर वर्षा के साथ मिलकर, इसकी नदियों को पुनर्जीवित करती है और देशभर में जल संसाधनों का विस्तार करती है। यह प्रगति के मौसम का प्रतीक है और स्वतंत्रता दिवस समारोहों के साथ मिला दिए जाने पर देशभक्ति की एक अनूठी भावना का संचार करता है। लाल किले की प्राचीर से, प्रधानमंत्री के संबोधन ने एक बार फिर आकांक्षी नागरिकों के लिए एक ऐसा खाका पेश किया जो एक विकसित भारत के निर्माण के व्यापक लक्ष्य को साकार करने का मार्ग प्रशस्त करता है।

संसद के इस विशेष मानसून सत्र की शुरुआत में, प्रधानमंत्री ने इसे भारत का गौरवशाली सत्र बताया था। भारतीय सैनिकों का शौर्य, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के कारखानों पर निर्णायक प्रहार और सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) का स्थगन—ये सब भारत की दृढ़ इच्छाशक्ति के सबूत हैं और राष्ट्रीय मानस पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं। फिर भी, सभी मुद्दों पर खुलकर चर्चा के लिए सरकार के राजी होने के बावजूद, विपक्ष ने बाधा डालने का रास्ता चुना और व्यापक जनहित की कीमत पर विचार-विमर्श को राजनीतिक नौटंकी में सीमित कर दिया।

देश अरसे से स्वार्थ को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखने की कांग्रेस की पुरानी आदत का बोझ ढोता चला आ रहा है। विभाजन की दुखद विभीषिका से लेकर नेहरूवादी कूटनीति की महंगी पड़ने वाली विफलताओं तक, इतिहास गवाह है कि कैसे इन फैसलों ने भारत की मूल अवधारणा को ही कमजोर कर दिया। सिंधु जल संधि (1960) पर बारीकी से गौर करने पर, जनता और देश के विकास की कीमत पर तुष्टिकरण व अति-उदारता की एक ऐसी कहानी सामने आती है, जिसने राष्ट्रीय विकास की संभावनाओं को निरंतर बाधित किया। यह घोर विडंबनापूर्ण है कि भारत के विकास से जुड़े हितों का त्याग एक ऐसे राजनीतिक आकलन से प्रेरित थे जिसने अपने नागरिकों के कल्याण से ऊपर पाकिस्तान के हितों को तरजीह दी।

मूल रूप से, विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी), सिंधु नदी प्रणाली के जल का आवंटन पाकिस्तान के पक्ष में (80:20) करती है। सिंधु नदी प्रणाली का उद्गम मुख्य रूप से भारत में है। इस संधि के तहत भारत को पश्चिमी में बहने वाली सिंधु, चिनाब और झेलम जैसी महत्वपूर्ण नदियों पर नियंत्रण छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, जिससे वैसे व्यापक जल संसाधन छिन गए जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के विशाल शुष्क एवं सूखाग्रस्त इलाकों का कायाकल्प कर सकते थे। यदि राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जाती, तो सुव्यवस्थित जल अवसंरचना इस इलाके के संपूर्ण विकास की तस्वीर को बेहतर बना सकती थी।

हालांकि, इस महत्वपूर्ण त्याग से व्यापक कूटनीतिक लाभ मिलने की उम्मीदें भ्रामक साबित हुईं। इस संधि के प्रक्रियात्मक संचालन ने चिंताओं को और बढ़ा दिया। इस संधि पर 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षर किए गए थे। लेकिन इसे दो महीने बाद, नवंबर में, संसद के समक्ष रखा गया और वह भी मात्र दो घंटे की औपचारिक चर्चा के लिए। जैसे ही इस संधि से जुड़े तथ्य सामने आए, इसके विभिन्न पहलुओं की पड़ताल के बाद प्रमुख समाचार पत्रों में छपी प्रतिकूल टिप्पणियां सुर्खियों में छायी रहीं। इतने महत्वपूर्ण समझौते के प्रति



कार्यक्रम है जो छात्रों को नई पाठ्यचर्या में सहजता से ढालने के लिए मार्गदर्शन करता है, ताकि वे अभिभूत न हों, बल्कि हर चरण में सहयोग प्राप्त करें।

समग्र शिक्षा (Samagra Shiksha) और पीएम पोषण (PM Poshan) जैसी योजनाओं ने लगभग सार्वभौमिक नामांकन को संभव बनाया है। NEP का प्रभाव वंचित समूहों तक भी पहुँचा है। 5,138 से अधिक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 7.12 लाख से अधिक वंचित समुदायों की बालिकाएं नामांकित हैं। धर्ती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 692 और PVTG छात्रों के लिए 490 से अधिक छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं। प्रशस्त कार्यक्रम के माध्यम से दिव्यांगता की पहचान कर शिक्षा व्यवस्था को और अधिक समावेशी व सशक्त बनाया गया है।

NEP 2020 के परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ हैं 14,500 पीएम-श्री स्कूल (PM SHRI Schools), जो आधुनिक, समावेशी और पर्यावरण के अनुकूल हैं। ये विद्यालय NEP के विजन के अनुरूप आदर्श मॉडल स्कूल बन रहे हैं, जो बुनियादी ढाँचे और शिक्षण पद्धति दोनों को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं। विद्यांजलि प्लेटफॉर्म ने 8.2 लाख स्कूलों को 5.3 लाख से अधिक volunteers और 2,000 CSR पार्टनर्स से जोड़ा है, जिससे 1.7 करोड़ छात्रों को सीधा लाभ मिला है।

उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 3.42 करोड़ से बढ़कर 4.46 करोड़ हो गया है—30.5% की बढ़ोत्तरी। इनमें लगभग 48% छात्राएं हैं। महिला PhD नामांकन 0.48 लाख से बढ़कर 1.12 लाख हो गया है। SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक छात्रों का बढ़ता नामांकन उच्च शिक्षा में समावेशिता का ऐतिहासिक संकेत है। महिला GER लगातार छह वर्षों से पुरुषों से अधिक रहा है।

मल्टीपल एंट्री-एग्जिट, Academic Bank of Credits, और National Credit Framework जैसे नवाचारों ने शिक्षा को विकल्पों से भरपूर और छात्र-केंद्रित बनाया है। 21.12 करोड़ APAAR IDs उपलब्ध कराई गई हैं। 153 विश्वविद्यालयों में मल्टीपल एंट्री और 74 में एग्जिट विकल्प उपलब्ध हैं—अब सीखना क्रमबद्ध नहीं, बल्कि मॉड्यूलर है।

NEP के अनुसंधान और नवाचार पर ज़ोर ने भारत के Global Innovation Index को 81वें स्थान से 39वें तक पहुंचाया है। 400 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों में 18,000 से अधिक स्टार्टअप इनक्यूबेट किए गए हैं। अनुसंधान NRF, PMRF 2.0, और 6,000 करोड़ की वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शोध को विकेंद्रीकृत और सुलभ बना रही हैं।

Swayam और Swayam Plus जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर 5.3 करोड़ से अधिक नामांकन हो चुके हैं। DIKSHA और PM e-Vidya के 200+ DTH चैनलों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण सामग्री देश के हर कोने में उपलब्ध हो रही है। द्विवार्षिक प्रवेश, डुअल डिग्री जैसी व्यवस्थाएं उच्च शिक्षा को और अधिक समावेशी, बहुविषयक और उद्योगोन्मुखी बना रही हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत के 54 संस्थान शामिल हुए हैं, जबकि 2014 में केवल 11 थे। Deakin, Wollongong, और Southampton जैसे वैश्विक विश्वविद्यालय भारत में कैंपस स्थापित कर रहे हैं।



परिवर्तन की इस यात्रा का उत्सव अखिल भारतीय शिक्षा समागम के माध्यम से मनाया जा रहा है, लेकिन इसका मूल्यांकन शिक्षार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के शांत आत्मविश्वास में हो रहा है। हमें अपने परिसरों को हराभरा बनाना, महत्वपूर्ण अनुसंधान अवसंरचना का विस्तार करना और सीखने के परिणामों को और अधिक गहरा करना जारी रखना होगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा केवल एक नीति नहीं, बल्कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय निवेश बन चुकी है। जहाँ शिक्षा है, वहीं प्रगति है। एक अरब जागरूक और सशक्त नागरिक केवल जनसांख्यिकीय लाभांश नहीं हैं, बल्कि नए भारत का सुपरनोवा हैं।

# अल्लाह के दूत की नगरी 'मदीना'

इस्लाम धर्म के तीर्थों में पवित्रतम दूसरा स्थान मदीना है। यह पैगंबर के नगर के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिध्द है। यह पश्चिमी सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में स्थित है। जब पैगंबर मुहम्मद द्वारा बुरी धार्मिक परंपराओं और रीति-रिवाजों का विरोध करने पर तत्कालीन शासकों द्वारा उनको मक्का छोडने पर मजबूर किया गया, तब पैगंबर द्वारा इसी मदीना शहर को अपना ठिकाना बनाया गया। यहीं पर उन्होंने अल्लाह के पवित्र संदेशों को प्रथम बार लोगों तक पहुंचाया। मदीना का पूरा नाम 'मदीना रसूल अल्लाह' है। जिसका अर्थ होता हैअल्लाह के दूत की नगरी। इसका छोटा रूप 'अल मदीना' है जिसका अर्थ है नगर। मुस्लिम अनुयायी पैगंबर मुहम्मद के साथ हमेशा 'सल्ला अल्लाहु अलाही वा सल्लम' जोड़ते हैं। इसलिए इन सभी शब्दों को जोड़कर यह स्थान 'मदीनात रसूल अल्लाह सल्ला अल्लाहु अलाही वा सल्लम' के नाम से भी जाना जाता है। इसका सार यही है कि यह शांति और सुरक्षा की नगरी है।

इस्लाम धर्म के धर्मावलंबियों में मक्का के बाद मदीना दूसरा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। इस्लाम धर्म के अनुसार यह मुसलमानों की प्रथम राजधानी है। इसी नगर में देवदूत जिब्राइल उतरे थे। यह वह नगर है, जहां अल्लाह के दूत पैगंबर हजरत मुहम्मद ने आश्रय लेकर धर्म और समाज में पैदा हुए दोषों और अन्याय के विरोध में अल्लाह के पवित्र उपदेशों को फैलाया। इस प्रकार यहीं से जिहाद या धर्मयुध्द की शुरुआत हुई। मुसलमानों की आस्था यहां से इसलिए भी जुड़ी है कि यहीं पर पैगंबर ने अपने जीवन का अंतिम समय गुजारा और यहीं पर उनका निधन हुआ। यहां पैगंबर की समाधि भी है।

मदीना नगर ईस्वी सन 622 में मुहम्मद हजरत के इस्लाम धर्म के प्रचार का प्रमुख स्थान रहा। पैगंबर द्वारा मक्का में चलाए गए धार्मिक और सामाजिक बुराइयों के विरोध के बाद शासकों द्वारा उनको प्रताड़ित करने से मक्का छोडने के बाद उनके अनुयायियों द्वारा मुहम्मद पैगंबर को 'यथरीब' जो मदीने का पुराना नाम है, में मुखिया बनकर रहने को आमंत्रित किया गया। उन दिनों में मदीना भी अलग गुटों और धर्म में बंटा हुआ था। जिनके बीच आए दिन धार्मिक परंपराओं को लेकर झगड़े और कलह होते थे तब मुहम्मद हजरत ने इस स्थान को अपना घर बनाया और अल्लाह के पवित्र संदेशों और शिक्षाओं को यहां के लोगों तक पहुंचाया। जिससे सभी धर्म और गुटों के लोग आपस में समझौता कर हजरत मुहम्मद और उनके अनुयायियों द्वारा बताए गए इस्लाम धर्म का पालन करने को राजी हो गए। उस वक्त मदीना में यहूदी बड़ी संख्या में रहते थे। इसलिए पैगंबर मुहम्मद के लिए यहूदियों को इस बात के लिए तैयार करना कठिन था कि इस्लाम धर्म ही यहूदी धर्म का वास्तविक रूप है। फिर भी उन्होंने सभी का समर्थन प्राप्त कर मक्का की ओर चढ़ाई की और अंत में इस्लाम धर्म और उसमें विश्वास करने वालों की जीत हुई।

इसी स्थान से पैगंबर ने मानवता और धर्म पालन के लिए सदैव जगत को एक हो जाने की प्रेरणा दी। उन्होंने मानवीय मूल्यों और आचरण की पवित्रता का महत्व बताया। उन्होंने संदेश दिया कि हर व्यक्ति को जीवन में ईश्वर के प्रति पूरा समर्पण रखकर बुराई से बचना चाहिए और अच्छाई को ही अपनाना चाहिए। पवित्र नगरी मदीना में पैगंबर मुहम्मद की 'अल-नबवी' के नाम से प्रसिध्द मस्जिद स्थित है। इस मस्जिद का निर्माण पैगंबर के घर के पास ही किया गया है, जहां उनको दफनाया गया था। इस्लाम धर्म की प्रथम मस्जिद जो 'मस्जिद अल कूबा' के नाम से पूरे विश्व में प्रसिध्द है, यहीं स्थित है। इस्लाम धर्म के पहले चार खलीफा ने इस्लामी साम्राय का तेजी से विस्तार किया। बाद के समय में इस्लाम धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में यरूशलेम, दमिश्क शामिल हुए। चैथे खलीफा अली खलीफा की मृत्यु के बाद मदीना से हटकर दमिश्क बना दी गई। समय बीतने के साथ ही मदीना धार्मिक महत्व के साथ ही राजनीतिक महत्व का प्रमुख स्थान हो गया। किंतु पैगंबर हजरत मुहम्मद की धर्म और ईश्वर के प्रति निष्ठा के लिए यह स्थान चिर काल तक याद किया जाएगा।